[2019] 17 एस. सी. आर 742

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी

वी.

एनएचपीसी लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9307)

10 दिसंबर, 2019

[आर. एफ. नरीमन, अनिरुद्ध बोस और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस। 37 – के तहत अपील-में पारित आदेशों के खिलाफ

अनुप्रयोग यू/एस। 151 आर/डब्ल्यू ओ. VII आर। 10 सी. पी. सी. और यू/एस. 2 (1) (ई) (i) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, की वापसी की मांग

यू/एस द्वारा दायर याचिका। 34 1996 का अधिनियम-आयोजित की जा सकने योग्यताः धारा 37 (1) यह स्पष्ट करती है कि अपील केवल

उपखंड (ए), (बी) और (सी) में दिए गए आदेश और कोई अन्य आदेश नहीं

मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने से इनकार एस के तहत होना चाहिए। 34

अर्थात एस में निर्धारित मैदानों के बाद। 34 विचाराधीन मध्यस्थता पुरस्कार पर लागू किया गया है और अदालतों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद ऐसे आधार-वर्तमान मामले में कोई निर्णय नहीं था। 34 - इसलिए, वर्तमान मामले में दायर अपील एस के अंतर्गत नहीं आती हैं। 37 और इसलिए रखरखाव योग्य नहीं है।

एसएस। 20 , 31 (4) , 42 और 2 (1) (ई)-मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान-मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान क्या है - वर्तमान मामले के तथ्यों में क्या मध्यस्थता कार्यवाही का 'स्थान' नई दिल्ली में होगा 'या' फरीदाबाद '। आयोजित किया गयाः जिस क्षण पक्षों के बीच समझौते द्वारा एक सीट नामित की जाती है, यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के समान है, जो तब मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्य से विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ 'सीट' पर न्यायालयों को निहित करेगा-निर्धारित करने के लिए

क्या वास्तव में पक्षकारों के बीच समझौते में मध्यस्थता कार्यवाही के स्थान का संकेत दिया गया है, यह देखा जाना चाहिए कि जहां कहीं भी 'स्थान' का स्पष्ट पदनाम है और 'स्थान' के रूप में किसी भी वैकल्पिक स्थान का पदनाम नहीं है।

मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों का राष्ट्रीय निकाय, और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं, कहा गया 'स्थान' होगा

वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का 'स्थान' मध्यस्थता वर्तमान मामले में खंड में कहा गया है कि "मध्यस्थता कार्यवाही

742 बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड।

नई दिल्ली/फरीदाबाद में होना "इंगित करता है कि कार्यवाही

दोनों में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाए-दोनों स्थानों पर आयोजित किया गया है

सभी में मध्यस्थता कार्यवाही के 'स्थान' के रूप में नामित

मामले, क्योंकि कार्यवाही अंततः नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और

पुरस्कारों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों पक्षों ने नई दिल्ली को मध्यस्थता के केंद्र के रूप में चुना है। 20 (1) – इसलिए, दोनों पक्षों ने चुना है कि मध्यस्थता पर अकेले नई दिल्ली के न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

कार्यवाही।

निर्णय/आदेशः

निर्णयों की व्याख्या-सिद्धांत सिद्धांत-आयोजितः अदालतों के फैसलों को क़ानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-उन्हें नहीं माना जाना चाहिए यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में पढ़ें-उसमें किए गए अवलोकनों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं।

निर्णय के सही अनुपात को प्रकट करने के लिए सामंजस्यपूर्ण-यदि सामंजस्य संभव नहीं है, तो पहले यह देखा जाना चाहिए कि क्या अनुपात का निर्धारण किया जा सकता है परस्पर विरोधी भाग के बिना पुकारा गया-यदि बाध्यकारी प्रकृति नहीं है

उस बिंदु पर पूर्ववर्ती जिसमें एक संघर्ष है

न्याय, एक बादल के नीचे आता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इस तथ्य को देखते हुए कि कोई स्वतंत्र नहीं है

वाणिज्यिक न्यायालयों की धारा 13 (1) के तहत अपील का अधिकार

अधिनियम, 2015, जो केवल अपील दायर करने का मंच प्रदान करता है, यह

केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के मापदंड हैं। जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या

वर्तमान अपीलें विचारणीय थीं। [पैरा 14] [764-सी]

1.2 धारा 37 (1) मध्यस्थता अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अपील केवल उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित आदेशों से होगी और किसी अन्य से नहीं। कबूतर का छेद जो ऊँचा है न्यायालय ने विवादित निर्णय में यह कहना चुना है कि

उपखंड (ग) में कहा गया है कि वर्तमान मामलों में अपीलें विचारणीय थीं। उच्च न्यायालय के अनुसार, यहां तक कि जहां धारा 34

आवेदन को उपयुक्त न्यायालय में वापस करने का आदेश दिया जाता है, इस तरह का आदेश एक आदेश के बराबर होगा "एक अलग रखने से इनकार करना"

धारा 34 "के तहत मध्यस्थता पुरस्कार। [पैरा 14] [764-सी-डी] [2019] 17 एस. सी. आर.

1.3 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1ए) के प्रावधान के तहत सीपीसी के आदेश XLIII का भी उल्लेख किया गया है।

यह प्रावधान धारा 37 में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जिसे अकेले धारा 34 के तहत खारिज करने या पुरस्कारों को अलग करने से इनकार करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है। इसके अलावा, विवादित फैसले में "धारा 34 के तहत" शब्द छूट गए हैं। इस प्रकार, एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार धारा 34 के तहत होना चाहिए, अर्थात, धारा 34 में निर्धारित आधारों को विचाराधीन मध्यस्थता पुरस्कार पर लागू किए जाने के बाद, और न्यायालय द्वारा ऐसे आधारों को अस्वीकार करने के बाद। मान लीजिए कि वर्तमान मामलों के तथ्यों पर मध्यस्थता की धारा 34 के तहत कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अधिनियम, 1996-बस इतना ही किया गया कि गुरुग्राम के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय ने आदेश VII नियम 10 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन को अनुमति दी, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि गुरुग्राम के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय को धारा 34 के आवेदन के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और इसलिए, इस तरह के आवेदन को सक्षम अदालत में वापस करना होगा।

नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में दायर अपीलें

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत नहीं आते हैं और हैं

रखरखाव योग्य नहीं है। [पारस 15-16 और 22] [764-E-G-H; 765-A-B; 770-B]

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. वी. मेसर्स ओ. सी. आई.

निगम और एन. आर. (2018) 14 एस. सी. सी. 715 [2018] 1 एस. सी. आर. 915-पर निर्भर था।

हामनप्रीत सिंह सिद्धू बनाम। आर्केडिया शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड 2016 234 डीएलटी 30 (डीबी); दक्षिण दिल्ली

नगर निगम बनाम। टेक महिंद्रा ईएफए (ओएस)

( ) 2019 का 3-अनुमोदित।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि.

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9338-इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित।

दिल्ली नगर निगम और अन्य। . वी. इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी लिमिटेड

(2004) 3 एससीसी 250: [2003] 1 एस. सी. आर. 951; आर्कोट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और ओआरएस। (2013) 16 एससीसी 1: [2013] 11 एससीआर 371; दक्षिण दिल्ली नगर निगम बनाम। टेक महिंद्रा 2019 का ई. एफ. ए. (ओ. एस.) (कम.) 3-निर्दिष्ट।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड।

2.1 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के तहत वैधानिक व्यवस्था में, जिस "स्थान" में पुरस्कार दिया जाता है, उसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए, "न्यायालय" को किसी भी दीवानी न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया था।

विषय बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होना

मध्यस्थता के संदर्भ का विषय यदि वह किसी वाद का विषय रहा हो। UNCITRAL मॉडल कानून

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (जैसा कि 21 जून 1985 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाया गया था) को इस देश द्वारा अपनाया गया था। UNCITRAL मॉडल कानून ने मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" या "स्थान" की अवधारणा को पेश किया। [पारस 28 और 29] [772-एफ-जी]

2.2 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को निरस्त कर दिया। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, मध्यस्थता अधिनियम, 1996

UNCITRAL मॉडल कानून के प्रावधानों को अपनाया गया, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निष्पक्ष और कुशल समाधान के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता के "स्थान" को संदर्भित करता है और "न्यायालय" को परिभाषित करता है, और इंगित करता है कि मध्यस्थता के संबंध में किन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।

भाग I में कई धाराओं में कार्यवाही। [पैरा 30 और 31] [774 ए-बी]

31 (3) UNCITRAL मॉडल कानून, जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही के न्यायिक स्थान को गौरव का स्थान दिया जाता है। हालांकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) में "न्यायालय" की परिभाषा मध्यस्थता अधिनियम में निहित परिभाषा को जारी रखती है।

1940 , लेकिन किसी भी और प्रत्येक दीवानी न्यायालय को किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र के केवल प्रमुख दीवानी न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और अपने सामान्य दीवानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को शामिल करता है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 भी काफी हद तक अभ्यास का अनुसरण करती है। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 31 (4)। [पैरा 33] [775-एच; 776-ए-बी]

2.4 इस प्रकार, मध्यस्थता कार्यवाही के "न्यायिक स्थान" की नई अवधारणा और मध्यस्थता द्वारा दिए गए महत्व को देखते हुए इस "सीट" के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996, मध्यस्थता पुरस्कार अब न केवल अपनी तारीख बताता है, बल्कि धारा 20 के अनुसार निर्धारित मध्यस्थता का स्थान भी बताता है। हालाँकि, "न्यायालय" की परिभाषा [2019] 17 एस. सी. आर. की धारा 2 (1) (सी) में निहित है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में जारी रहा, हालांकि अपने मूल सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसका अर्थ केवल प्रमुख दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय तक सीमित कर दिया गया। इस प्रकार, मध्यस्थता कार्यवाही के न्यायिक स्थान की अवधारणा और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसका संबंध जो तब मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामलों को देखना है।

मध्यस्थता पुरस्कारों के लिए चुनौतियों को शामिल करना स्पष्ट नहीं था, और इस न्यायालय द्वारा मामले के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार विकसित किया जाना था। [पैरा 34] [776-सी-डी]

2.5 * बाल्को मामले में निर्णय से पता चलेगा कि जहां पक्षों ने अपने समझौते में मध्यस्थता का स्थान चुना है,

* बाल्को निर्णय को जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह अवधारणा लागू होती है। धारा 20 का धारा 2 (1) (ई) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से अर्थ निकालकर "सीट" का, जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में है,

"न्यायालय" की परिभाषा को व्यापक बनाना, और मध्यस्थता के "आसन" के अपने केन न्यायालयों के भीतर लाना। लेकिन यह प्रस्ताव जब निर्णय के अनुच्छेद 96 की बात की जाती है तो इसका खंडन किया जाता है

न्यायालयों की समवर्ती अधिकारिता जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, और न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर विवाद समाधान अर्थात मध्यस्थता स्थित है। [पारस 40 और 41] [783-एच; 784-ए-डी]

2.6 न्यायालयों के निर्णयों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिए

कानून, न ही उन्हें यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। की गई सभी टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देता है। किसी भी मामले में, एक निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, ताकि परस्पर विरोधी भागों के सही अनुपात को प्रकट करने के लिए सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

निर्णय। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, और यह पाया जाता है

कि निर्णय के भीतर आंतरिक संघर्षों को हल नहीं किया जा सकता है, फिर पहला प्रयास जो किया जाना चाहिए वह यह देखना है कि क्या एक अनुपात निर्णय को परस्पर विरोधी के बिना समाप्त किया जा सकता है।

भाग। यदि नहीं, तो उस बिंदु पर पूर्ववर्ती की बाध्यकारी प्रकृति, जिस पर किसी निर्णय में टकराव होता है, एक बादल के नीचे आती है। [पारस 43 और 45] [785-सी; 787-ए-बी] बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

एनएचपीसी लिमिटेड।

भारत के विधि आयोग की 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन' (अर्थात 'विधि आयोग की रिपोर्ट, 2014') शीर्षक वाली 246 वीं रिपोर्ट, जिसके तहत धारा 20 (1) और (2) मध्यस्थता के 'स्थान' को संदर्भित करेगी, और धारा 20 (3) केवल मध्यस्थता के 'स्थान' को संदर्भित करेगी। इस तथ्य को देखते हुए कि जब पक्ष, या तो समझौते से या एक समझौता होने की चूक, जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 31 (4) के तहत मध्यस्थता के स्थान के रूप में एक विशेष स्थान निर्धारित करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि समकक्षों ने सीट, या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को चुना है।

सीट निर्धारित करने के बाद, अंतरिम आदेशों और पुरस्कार को चुनौती देने के उद्देश्य से सीट पर अदालतों को भी चुना है। [पैरा 47] [788-सी-ई]

2.9 विधि आयोग की रिपोर्ट, 2014 में भी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) के तहत "न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की गई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" होना चाहिए, यहां तक कि जहां ऐसा उच्च न्यायालय सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है। विधि आयोग, 1996 द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। [पैरा 49] [790-एफ-जी] 2.10 "न्यायालय" की परिभाषा में किया गया उक्त संशोधन भी सही दिशा दिखाने वाला एक कदम है, अर्थात्, भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं में, अकेले उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है।

भले ही [2019] 17 एस. सी. आर. के भीतर कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ हो।

ऐसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता, ऐसा उच्च न्यायालय जिसकी सामान्य मूल अधिकारिता नहीं है। ऐसे मामलों में, उस "स्थान" को देखा जाता है जहां अकेले पुरस्कार दिया जाता है, और उच्च न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही की निगरानी करने के लिए अधिकार क्षेत्र दिया जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपील सुनने के लिए, जो केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर होता है जो बदले में उस "स्थान" से संबंधित होता है जहां पुरस्कार दिया जाता है। कानून में इस तात्कालिक परिवर्तन के आलोक में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) (आई) का भी इस निर्णय द्वारा इंगित तरीके से अर्थ लगाया जाना चाहिए। [पैरा 50] [791-एच; 792 ए-बी]

2.11 यदि पैराग्राफ 96 में * बाल्को मामले के फैसले के परस्पर विरोधी हिस्से को एक पल के लिए अलग रखा जाता है, तो यही तथ्य है।

यह कि पक्षों ने सीट के लिए एक स्थान चुना है, अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों के निर्णय को अपने साथ ले जाएगा कि सीट पर न्यायालयों को पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया पर विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र होगा। वास्तव में, इस न्यायालय की बाद की खंड पीठों ने कानून को यह समझते हुए कि एक बार मध्यस्थता का स्थान चुने जाने के बाद, यह एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के बराबर है, जहां तक उस स्थान पर न्यायालयों का संबंध है। [पारस 51 और 52] [792 एफ-एच]

2.12 जिस क्षण पक्षकारों के बीच समझौते द्वारा एक सीट नामित की जाती है, यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के समान होता है, जो तब मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ "सीट" पर न्यायालयों को निहित करेगा।

यह दर्शाता है कि निंदनीय निष्कर्ष यह है कि कथित स्थान वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान है। [पैरा 63] [802-बी] 2.14 जब भी किसी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" के रूप में मध्यस्थता के स्थान का पदनाम होता है, तो "मध्यस्थता कार्यवाही" अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि "स्थान" वास्तव में बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी v का "स्थान" है।

एनएचपीसी लिमिटेड।

मध्यस्थता कार्यवाही, जैसा कि उपरोक्त अभिव्यक्ति में केवल एक या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई शामिल नहीं है, लेकिन

यह संकेत कि कथित स्थान केवल एक "स्थान" है और मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, तब निर्णायक रूप से दिखाएगा कि ऐसा खंड मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" को निर्दिष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, यदि नियमों का एक राष्ट्रीय निकाय है मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए, यह आगे एक संकेत होगा

कि "स्थल", इस प्रकार कहा गया है, मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान होगा। राष्ट्रीय संदर्भ में, इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो "निर्दिष्ट स्थान" पर लागू होता है, जो तब मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए "सीट" बन जाता है। [पैरा

84] [816 - जी-एच; 817-ए-डी] 2.15 वर्तमान मामले में, मध्यस्थता समझौते के अनुसार, यदि किसी विदेशी ठेकेदार के साथ विवाद उत्पन्न होना था, तो खंड

67.3 ((ii) लागू होगा। इस उपखंड के तहत, एक विवाद जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (च) के अर्थ के भीतर एक 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' के बराबर होगा, उसे अंततः मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार निपटाना होगा। 1996 यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मध्यस्थता नियमों के साथ पढ़ा जाता है, और किसी भी संघर्ष के मामले में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 प्रबल होता है (क्योंकि भाग I के तहत दिए गए पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (7) के तहत एक घरेलू पुरस्कार माना जाता है, इस तथ्य को स्वीकार किए बिना कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में दिया गया पुरस्कार है)। शाशोआ सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि विवाद के खंड 67.3 के तहत एक विदेशी ठेकेदार के साथ था

समझौता, यह तथ्य कि मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली/फरीदाबाद, भारत में खंड 67.3, [2019] 17 एस. सी. आर. के उपखंड (vi) में आयोजित की जाएगी।

इनमें से किसी भी स्थान को मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में नामित करने के बराबर होगा, क्योंकि कानून का एक अधिराष्ट्रीय निकाय लागू किया जाना है, अर्थात्, UNCITRAL मध्यस्थता नियम,

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के साथ संयोजन। चूंकि इस तरह का मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी जिसका निर्णय भारत में किया जाएगा, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 भी लागू होना है। ऐसी स्थिति में कोई अन्य विपरीत संकेत नहीं होने के कारण, नई दिल्ली या फरीदाबाद, भारत समझौते के तहत नामित "सीट" है, और यह पार्टियों को चुनने के लिए है।

अंततः दोनों में से किस स्थान पर मध्यस्थता आयोजित की जानी है। [पैरा 98] [825-ई-एच; 826-ए-बी]

2.16 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और किसी विदेशी ठेकेदार के बीच कोई विवाद था, तो खंड 67.3 (vi) को मध्यस्थता के "स्थान" को निर्दिष्ट करने वाले खंड के रूप में पढ़ना होगा, इसका पालन तब भी किया जाना चाहिए जब उप-खंड (vi) को खंड 67.3 के उप-खंड (i) के साथ पढ़ा जाना है, जहां एन. एच. पी. सी. लिमिटेड के बीच विवाद एक भारतीय ठेकेदार के साथ होगा। वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड में कहा गया है कि "मध्यस्थता कार्यवाही

नई दिल्ली/फरीदाबाद, भारत में आयोजित किया जाए "..., जिससे यह संकेत मिलता है कि सभी सुनवाई, पुरस्कार बनाने के साथ, उल्लिखित स्थानों में से एक पर होनी है। नकारात्मक रूप से, खंड में यह नहीं कहा गया है कि सुनवाई का स्थान ऐसा है कि कुछ, या सभी, सुनवाई स्थल पर हो; न ही यह "न्यायाधिकरण मिल सकता है", या "गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुन सकता है" जैसी भाषा का उपयोग करता है। "आयोजित किया जाएगा" अभिव्यक्ति यह भी इंगित करती है कि तथाकथित "स्थान" वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" है। इस विवाद का निपटारा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार किया जाना है, जो इसलिए नई दिल्ली या फरीदाबाद में आयोजित होने वाले मध्यस्थता के लिए नियमों का एक राष्ट्रीय निकाय लागू करता है, इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान मध्यस्थता भारतीय होगी न कि अंतर्राष्ट्रीय। यह स्पष्ट है,

2.17 हालाँकि, तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष तीनों अपीलों में, कार्यवाही अंततः नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और पुरस्कारों पर फरीदाबाद में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 (1) के तहत नई दिल्ली को मध्यस्थता के "केंद्र" के रूप में चुना है। यह मामला होने के कारण, दोनों पक्षों के पास है, बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

एनएचपीसी लिमिटेड।

इसलिए, यह चुना गया कि मध्यस्थता कार्यवाही पर अकेले नई दिल्ली के न्यायालयों का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, यह तथ्य कि फरीदाबाद में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हो सकता है, एक बार "सीट" चुने जाने के बाद प्रासंगिक नहीं होगा, जो तब एक विशेष अधिकार क्षेत्र के बराबर होगा।

खंड जहाँ तक "सीट" के न्यायालयों का संबंध है। [पैरा 100] [826-एफ-एच]

2.18 नतीजतन, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है, और धारा 34 याचिका में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है

नई दिल्ली में अदालतें, जैसा कि गुरुग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया गया था। [पैरा 101] [827-ए]

* भारत एल्यूमीनियम कंपनी (बाल्को) बनाम। कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा, इंक., (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327 अमर नाथ ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य

(1985) 1 एस. सी. सी. 345; भारत संघ बनाम। अमृत लाल मनचंदा (2004) 3 एससीसी 75: [2004] 2 एस. सी. आर. 422; ब्राह्मणी रिवर पेलेट लिमिटेड v. कामाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और एन. आर. (2014) 5 एससीसी 1;

** इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड v.

डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। , (2017)

7 एससीसी 678: [2017] 4 एस. सी. आर. 744 पर भरोसा किया। भारत संघ बनाम। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 1640-आयोजित नहीं किया गया

अच्छा कानून।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि.

(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9338-अनुमोदित नहीं।

वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम। सत्यम कंप्यूटर

सर्विसेज लिमिटेड और ए. एन. आर. (2008) 4 एस. सी. सी. 190 खड़ा था

खारिज कर दिया।

डोज़को इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम डूसन इन्फ्राकोर कं. लिमिटेड (2011) 16 एस. सी. सी. 17; वीडियोकॉन इंडसरीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2011) 6 एस. सी. सी. 161; सद्भाव नवाचार

शिपिंग लिमिटेड बनाम। गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और अन्र. (2015) 9 एस. सी. सी. 172; रोजर शाशोआ और ओआरएस। वी. मुकेश

शर्मा और ओआरएस। , (2017) 14 एस. सी. सी. 722; सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड और अन्य (1998) 1 एस. सी. सी. 305; हाकम सिंह बनाम। एम/एस। गैमन (इंडिया) लिमिटेड, (1971) 1 एससीसी 286: [1971] 3 एससीआर 314; रिलायंस [2019] 17 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2014) 7 एससीसी 603:

[2014] 6 एस. सी. आर. 456-संदर्भित।

रोजर शाशोआ और ओआरएस। वी. मुकेश शर्मा (2009)

ईडब्ल्यूएचसी 957 (कॉम); हार्पर और ओआरएस। वी. राष्ट्रीय

कोयला बोर्ड (1974) 2 सभी ई. आर. 441; एनरकॉन जी. एम. बी. एच. बनाम।

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड. [2012] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 689; शगांग

दक्षिण-एशिया (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड बनाम। देवू।

रसद [2015] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 194; प्रक्रिया और इंडस्ट्रियल

डेवलपमेंट्स लिमिटेड v. नाइजीरिया [2019] ईडब्ल्यूएचसी 2241;

नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. कम्पानिया

इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (1988) 1 लॉयड्स

प्रतिनिधि 116 (सीए); ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म (स्कॉटलैंड)

वी. अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड [2008] ईडब्ल्यूएचसी 436 (टीसीसी); सी वी। डी [2007] ईडब्ल्यूसीए सिविल। 182 –

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 915

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[1971] 3 एससीआर 314

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2012] 12 एससीआर 327

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2017] 4 एससीआर 744

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2014] 6 एससीआर 456

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2003] 1 एससीआर 951

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

[2013] 11 एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

2016 234 डीएलटी 30 (डीबी)

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 18

(1985) 1 एस. सी. सी. 345

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

(2004) 2 एस. सी. सी. 422

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

(2014) 5 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

(2011) 16 एस. सी. सी. 17

पै

रा 72

संदर्भित किया गया है

(2011) 6 एससीसी 161

पै

रा 74

संदर्भित किया गया है

(2015) 9 एस. सी. सी 172

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

(1998) 1 एससीसी 305

संदर्भित किया गया है

पै

रा 90

(2008) 4 एससीसी 190

खारिज कर दिया गया

पैरा 94 बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. v. एनएचपीसी लिमिटेड।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9307

2019 से। एफ. ए. ओ. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 12.09.2018 के निर्णय और आदेश से-के सी. ओ. एम. संख्या 2

2018 .

के साथ

सिविल अपील सं। 9308 , 9309 2019 से।

सुश्री मनिंदर आचार्य, एएसजी, डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरुणाभ चौधरी, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, वैभव तोमर, बरनाली

चौधरी, सुश्री श्रुति चौधरी, अमित भंडारी, अभिषेक रॉय, सुश्री सैमटेन डोमा, कर्मा दोरजी, डेचेन डब्ल्यू. लाचुंगपा, ए. सी. मिश्रा, अंकित चतुर्वेदी (मेसर्स एसीएम लीगल के लिए), पुनीत तनेजा,

तारकेश्वर नाथ, सुश्री लक्ष्मी कुमारी, विप्लव आचार्य, महावीर रावत, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हमारे सामने तीन अपीलें रखरखाव के बारे में सवाल उठाती हैं

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत अपीलों की, और, इन कार्यवाहियों में मध्यस्थता खंड को देखते हुए, क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली या फरीदाबाद है, जिसके परिणामस्वरूप

जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मध्यस्थता का स्थान कहाँ स्थित है।

3. शुरुआत में, 2018 के एसएलपी (सिविल) No.25618 में तथ्य हैं -

सुबनस्री नदी पर 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली परियोजना को भारत में अब तक की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना स्थल असम राज्यों के निचले सुबनस्री जिलों में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश। पक्षों के बीच समझौते के खंड 67.3 में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान का प्रावधान है। खंड 67.3 पढ़ता है

इस प्रकार हैः

जिसके संबंध में नियोक्ता और सी. टी. ओ. एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैंउपखंड 67.1 तक, अंत में नीचे मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास किसी भी निर्णय, राय, निर्देश की समीक्षा और संशोधन करने की पूरी शक्ति होगी।

इंजीनियर का राष्ट्र, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन।

ठेकेदार। तीसरे मध्यस्थ का चयन दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा और वह पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। दो मध्यस्थों की विफलता के मामले में, पक्षों द्वारा एक तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया 30 दिनों की अवधि के भीतर सहमति

बाद में नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उद्देश्यों के लिए

ठेकेदार। विदेशी ठेकेदार के साथ विवाद के मामले में, विवाद का अंत में इसके अनुसार निपटारा किया जाएगा -

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और UNCITRAL मध्यस्थता नियमों के साथ पढ़ें। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाएगी और

ठेकेदार। तीसरे मध्यस्थ का चयन दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा और वह पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। दोनों की विफलता के मामले में पीठासीन मध्यस्थ पर उनकी नियुक्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर आम सहमति तक पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जिन्हें बाद में नियुक्त किया जाएगा,

पीठासीन मध्यस्थ द्वारा नियुक्त किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष। इसके लिए

इस खंड 67 के उद्देश्यों के लिए, "विदेशी बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v" शब्द का प्रयोग किया गया है।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

"ठेकेदार" का अर्थ है एक ठेकेदार जो पंजीकृत नहीं है। भारत में है और भारतीय के तहत बनाया गया न्यायिक व्यक्ति नहीं है

कानून. भारतीय के बीच किसी भी विरोधाभास के मामले में

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और UNCITRAL

मध्यस्थता होने के कारण परिवर्तित नहीं किया जाएगा कार्यों की प्रगति के दौरान किया गया।

XXX

XXX

XXX

यदि एक पक्ष अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहता है।

उपरोक्त उपखंड (i) और (ii) का 30 दिनों के भीतर पालन

उसकी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद

इंजीनियर्स संस्थान (भारत), दोनों विदेशी मामलों में ठेकेदारों के साथ-साथ भारतीय ठेकेदार भी नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ। आदेश की प्रमाणित प्रति

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के अध्यक्ष,

ऐसी नियुक्ति प्रत्येक को दी जाएगी

पार्टियाँ।

मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

फरीदाबाद, भारत और मध्यस्थता की भाषा

कार्यवाही और सभी दस्तावेजों की और

दोनों पक्षों के बीच संचार अंग्रेजी में होना चाहिए।

अधिकांश मध्यस्थों का निर्णय अंतिम होगा।

और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी। लागत और खर्च मध्यस्थता इस तरह से वहन की जाएगी कि

माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित। हालांकि,

के संबंध में प्रत्येक पक्ष द्वारा किए गए खर्च

इसकी कार्यवाहियों की तैयारी, प्रस्तुति आदि नियुक्त मध्यस्थ को भुगतान की गई फीस और खर्च

अपनी ओर से ऐसे पक्ष द्वारा प्रत्येक पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

स्वयं "।

6.05.2011 , [2019] 17 एस. सी. आर. के लिए मुआवजे के भुगतान के संबंध में ई. प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता की सूचना जारी की गई थी।

प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न बाधाओं के परिणामस्वरूप असामान्य देरी और अतिरिक्त लागतों के कारण नुकसान हुआ। तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन समझौते के खंड 67.3 के तहत किया गया था।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने आई. एन. आर. 986.60 करोड़ प्लस सी. एच. एफ. 1060619 की राशि की वसूली के लिए अपना दावा विवरण दायर किया। अगस्त 2011 और अगस्त 2016 के बीच नई दिल्ली में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की 71 बैठकें हुईं। इसके बाद न्यायाधिकरण ने नई दिल्ली में अपना सर्वसम्मत निर्णय 26.08.2016 पर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के कुल INR 424,81,54,096.29 के दावों को वास्तविक भुगतान की तारीख तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष के सरल ब्याज के साथ अनुमति दी गई थी। 04.10.2016 पर, मध्यस्थता पुरस्कार में कुछ कम्प्यूटेशनल और टाइपोग्राफिक त्रुटियों को देखते हुए, 424,81,54,096.29 के आंकड़े को INR 424,70,52,126.66 में सुधार दिया गया था। आई. डी. 1 पर, मध्यस्थता निर्णय और उसमें सुधार से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद, हरियाणा के न्यायालय के समक्ष इन पुरस्कारों को रद्द करने की मांग की गई। 28.04.2017 पर, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के आदेश VII नियम 10 के साथ पठित धारा 151 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) (आई) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें धारा 34 के तहत दायर याचिका को प्रस्तुत करने के लिए वापस करने की मांग की गई।

नई दिल्ली में उपयुक्त न्यायालय और/या धेमाजी, असम में जिला न्यायाधीश के समक्ष। नवंबर, 2017 में, गुरुग्राम में एक विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के गठन के बाद, फरीदाबाद में दायर धारा 34 याचिका को उक्त गुरुग्राम वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और मध्यस्थता मामले No.74 (CIS नं. ए. आर. बी./118/2017)।

5. 21.12.2017 पर, विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम ने याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति दी, और नई दिल्ली में अधिकार क्षेत्र वाली उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए धारा 34 याचिका को वापस कर दिया। 15.02.2018 पर, प्रत्यर्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के साथ पठित मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। आई. डी. 1 पर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय दिया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत दायर अपील विचारणीय थी, और यह कि दिल्ली केवल एक सुविधाजनक स्थान होने के कारण जहां मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी और मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नहीं होने के कारण, फरीदाबाद के पास फरीदाबाद में आंशिक रूप से उत्पन्न हुई कार्रवाई के कारण के आधार पर अधिकार क्षेत्र होगा। नतीजतन, अपील बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम थी।

अनुमति दी गई और विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

6. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.25618 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के विवादित फैसले की आलोचना की है। उनके अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 केवल चुनौती के लिए मंच प्रदान करती है, जबकि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37-जिसका वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है-अपील के अधिकार को सीमित करती है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि केवल कुछ निर्णय

और आदेश अपील योग्य हैं, और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के बाहर किसी भी प्रावधान के तहत कोई अपील नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से गलत था जब उसने कहा कि वर्तमान अपील थी

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (सी) के तहत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील के रूप में अपील की जा सकती है। डॉ. सिंघवी के अनुसार, एक आदेश जो सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के साथ पठित धारा 151 के तहत एक आवेदन की अनुमति देता है, किसी भी तरह से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने के आदेश के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रस्ताव के लिए, उन्होंने दृढ़ता से भरोसा किया

कांडला निर्यात निगम और ए. एन. आर. में हमारे फैसले पर। वी. मेसर्स ओ. सी. आई. कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. (2018) 14 एससीसी 715। दूसरे बिंदु पर, उन्होंने विवादित निर्णय को विस्तार से पढ़ा, और कहा कि अंतिम

यह निष्कर्ष कि नई दिल्ली केवल एक "स्थान" था और मध्यस्थता का "स्थान" नहीं था, गलत था, क्योंकि पक्षों ने नई दिल्ली में बैठकें करने का विकल्प चुना है, जिसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने माना कि नई दिल्ली में दिया गया निर्णय पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" पर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट था कि भले ही नई दिल्ली और फरीदाबाद दोनों ने

अधिकारिता, नई दिल्ली पक्षकारों की पसंद होने के नाते, सिद्धांत हाकम सिंह बनाम में निहित है। एम/एस। गैमन (इंडिया) लिमिटेड, (1971) 1 एस. सी. सी. 286, शासन करेगा। उन्होंने बहुत विस्तार से कई लोगों का उल्लेख किया भारत एल्यूमीनियम कंपनी (बाल्को) बनाम में पाँच न्यायाधीशों की पीठ सहित इस न्यायालय के निर्णय। कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विस, इंक., (2012) 9 एस. सी. सी. 552, इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम। डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। , (2017)

7 एस. सी. सी. 678, और विभिन्न अन्य निर्णय उनकी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए। उनके अनुसार, भारत संघ बनाम में दिया गया हालिया निर्णय। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. 2018 एससीसी ऑनलाइन एस. सी. 1640 पिच को कतारबद्ध करता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बाल्को (ऊपर) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत है। यह केवल हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जैसे निर्णयों के कारण होने वाले भ्रम का परिणाम है।

(इंडिया) इंक. (ऊपर) कि विवादित निर्णय इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नई दिल्ली वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, बल्कि केवल "स्थान" है। इसलिए, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान तर्क दिया कि इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए, और हमें यह घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक।

(ऊपर) सही ढंग से तय नहीं किया गया था, जो बाल्को (ऊपर) में बड़ी पीठ के विपरीत था।

7. डॉ. सिंघवी ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान भी उल्लेख किया

बाल्को (ऊपर) के पैराग्राफ 96 की ओर इशारा करते हुए और तर्क दिया कि उक्त पैराग्राफ में दिया गया उदाहरण न केवल उसमें प्रस्तावित समवर्ती क्षेत्राधिकार के सिद्धांत के विपरीत था, बल्कि उक्त निर्णय में बाद के पैराग्राफ के विपरीत भी था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थता के "स्थान" को बताते हुए एक समझौते में एक खंड एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के समान है, जो किसी भी सिद्धांत को भुगतान करेगा

समवर्ती क्षेत्राधिकार। वास्तव में, दो बाद के निर्णय

बाल्को (ऊपर) के अनुपात को यह समझ लिया है कि एक बार मध्यस्थता समझौते में "सीट" का संकेत दिया जाता है, तो यह एक अनन्य समझौते के समान है।

अधिकारिता खंड, जो पीठ पर न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को हटा देगा। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी. 603 और इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (ऊपर)।

8. श्री अरुणाभ चौधरी ने 2018 के एसएलपी (सिविल) संख्या 25848 में तर्क दिया कि डॉ. सिंघवी द्वारा तर्क दिए गए पहले एसएलपी के विपरीत, अपने लेख में

मामले में, मध्यस्थता की सूचना असम स्थल-प्रतिवादी के कार्यालय को भेजी गई थी, और असम कार्यालय के माध्यम से फरीदाबाद में मुख्य कार्यालय को नहीं भेजी गई थी, जिससे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 21 के आधार पर टिप्पणियां की गईं।

अपने मामले के तथ्यों पर अप्रयोज्य। उन्होंने डॉ. सिंघवी के इस तर्क का समर्थन किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील,

1996 बनाए रखने योग्य नहीं होगा, और कई निर्णयों का हवाला दिया, जो इसे थोड़ी देर बाद सुलझा लिया जाएगा।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

9. श्री अंकित चतुर्वेदी ने 2018 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 28062 में अपने मामले के तथ्यों में एक महत्वपूर्ण अंतर पर जोर दिया, जो यह है कि उनके मामले में दिए गए मध्यस्थता निर्णय में स्पष्ट रूप से धारा का उल्लेख किया गया है। 31 (4) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा, और कहा कि मध्यस्थता का स्थान, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के अनुसार निर्धारित किया गया है,

1996 , नई दिल्ली थी। इसलिए, इस मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित "सीट" होने के कारण, धारा 34 के तहत एक चुनौती मध्यस्थता अधिनियम, 1996 केवल नई दिल्ली की अदालतों में ही बनाया जा सकता था।

10. श्रीमती. मनिंदर आचार्य, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,

अपील के तहत फैसले का समर्थन किया। उन्होंने पहले तर्क दिया कि विवादित फैसले का तर्क, कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 10 के साथ पठित धारा 151 के तहत पारित एक आदेश एक मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने के बराबर होगा, सही है, और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करता है। देवास मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9338 इस उद्देश्य के लिए। दूसरे बिंदु पर, उन्होंने तर्क दिया कि मध्यस्थता खंड यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि नई दिल्ली या फरीदाबाद में से किसी को भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान होना था। इसलिए, मध्यस्थता खंड केवल एक सुविधाजनक स्थान को संदर्भित करता है, और यह तथ्य कि बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं, इसलिए, नई दिल्ली को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 (1) के तहत मध्यस्थता का स्थान नहीं बनाएगा। उनके अनुसार, चूंकि वर्तमान मामले में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे

फरीदाबाद, और चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा नोटिस भेजे गए थे

प्रत्यर्थी का फरीदाबाद कार्यालय, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से फरीदाबाद में उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप फरीदाबाद की अदालतों को धारा 34 के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र दिया जाएगा। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि बाल्को (उपरोक्त) में, यह मानते हुए भी कि नई दिल्ली मध्यस्थता का केंद्र है, नई दिल्ली और फरीदाबाद दोनों के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा-नई दिल्ली एक तटस्थ मंच है जिसमें कार्रवाई का कोई हिस्सा नहीं है, और फरीदाबाद एक चुना हुआ मंच है जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है। जब खंड के साथ पढ़ा जाता है

42 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत, क्योंकि फरीदाबाद के न्यायालय से पहली बार मध्यस्थता की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके संपर्क किया गया था।

अधिनियम, 1996, कि अकेले न्यायालय की अधिकारिता होगी, जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्णय की पुष्टि की जानी चाहिए।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 [2019] 17 एस. सी. आर. की धारा 37 के तहत अपीलों का रखरखाव।

11. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) इस प्रकार हैः

" 37. अपील योग्य आदेश। (1) एक अपील निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से उस न्यायालय में होगी जो कानून द्वारा अपील सुनने के लिए अधिकृत है।

आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल फरमानें, अर्थात्ः

(क) पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना

धारा 8;

(बी) के तहत कोई उपाय देने या देने से इनकार करना।

धारा 9;

(ग) मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना।

धारा 34 "के तहत।

12. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 इस प्रकार हैः

वीएसः

" 13. वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेशों से अपील और वाणिज्यिक प्रभाग।

(1) किसी के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे का वाणिज्यिक न्यायालय अपील कर सकता है।

साठ दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में

निर्णय या आदेश की तारीख से।

बशर्ते कि एक अपील वाणिज्यिक प्रभाग या एक वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी जो विशेष रूप से इस अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII में गणना की गई है।

(2) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई अपील नहीं

वाणिज्यिक प्रभाग के किसी अन्य आदेश या डिक्री से निहित होगा।

या वाणिज्यिक न्यायालय अन्यथा के अनुसार

अधिनियम के प्रावधान "। बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

13. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के बीच परस्पर क्रिया

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 को कांडला निर्यात निगम (उपरोक्त) के फैसले में विस्तार से नहीं बताया गया है। कंडला निर्यात निगम (ऊपर) में उत्पन्न सटीक प्रश्न

इस पर कि क्या कोई अपील, जो धारा के तहत बनाए रखने योग्य नहीं थी

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, फिर भी धारा के तहत बनाए रखने योग्य है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015। इस संदर्भ में, सेटिंग के बाद

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधान और

राशन अधिनियम, 1996, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

हम इन अपीलों में तुरंत चिंतित हैं, जो दो भागों में है। मुख्य प्रावधान है, जैसा कि श्री द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

गिरि, एक प्रावधान जो निर्णयों से अपील का प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के आदेश और फरमान।

इस मुख्य प्रावधान के लिए, एक अपवाद बनाया गया है प्रावधान "।

14. परंतुक में आगे कहा गया है कि एक अपील से होगी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित ऐसे आदेश

जो विशेष रूप से संहिता के आदेश 43 के तहत गिने जाते हैं

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और मध्यस्थता की धारा 37

एक्ट करें। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि आदेश जो विशेष रूप से नहीं हैं

आदेश 43 सी. पी. सी. के तहत गणना, इसलिए, नहीं होगी

अपील योग्य, और अपीलें जो धारा 37 में उल्लिखित हैं

अकेले मध्यस्थता अधिनियम ऐसी अपीलें हैं जो की जा सकती हैं

उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग।

15. इस प्रकार, एक आदेश जो मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करता है धारा 8, धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं होने के कारण, नहीं होगी

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील की जाए।

इसी तरह, उप-धाराओं में निर्दिष्ट याचिका को खारिज करने वाली अपील

(2) और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 की धारा (3) समान रूप से

धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं होगी और इसलिए, इसके तहत

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1)।

XXX

XXX

XXX

20. फ्यूर्स्ट डे में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

लॉसन [फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोट्र्स लिमिटेड,

(2011) 8 एससीसी 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178], जो संसद

यह जानने के लिए माना जाता है कि इसने मध्यस्थता संशोधन [2019] 17 एस. सी. आर. कब लागू किया।

अधिनियम, 2015 और इस तथ्य को देखते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के लागू होने पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यह स्पष्ट है कि धारा 50 निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर स्व-निहित संहिता में निहित एक प्रावधान है -

मध्यस्थता, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। इसमें फ्यूर्स्ट डे के पैरा 89 में उल्लिखित नकारात्मक आयात होता है।

लॉसन [फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] कि जिन अपीलों का उसमें उल्लेख नहीं है, वे अनुज्ञेय नहीं हैं। यह वह है

मामले में, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न अपीलों से संबंधित मध्यस्थता का एक सामान्य प्रावधान होने के नाते, स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगी।

21. तथापि, यह प्रश्न अभी भी उत्पन्न होता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के परंतुक में स्पष्ट रूप से क्यों शामिल किया गया था, जो एक स्व-निहित संहिता में निहित अपील का समान रूप से एक विशेष प्रावधान है, जो किसी भी मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के बाहर होगा। इसका एक उत्तर यह है कि यह बहुत कम समय में किया गया था। एक अन्य उत्तर यह हो सकता है कि चूंकि धारा 37 को स्वयं मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो उसी दिन वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के रूप में लागू हुआ था, संसद ने अपने विवेक में सोचा कि इस बात पर जोर देना आवश्यक था कि संशोधित धारा 37 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में निहित सामान्य प्रावधान पर प्राथमिकता होगी। संयोग से, 2015 के संशोधन ने इस श्रेणी में एक और श्रेणी पेश की

मध्यस्थता अधिनियम में अपील योग्य आदेश, अर्थात्, एक श्रेणी जहां धारा 8 के तहत एक आदेश दिया जाता है जो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करता है। संसद को यह आवश्यक लगा होगा कि

इस तथ्य पर जोर दें कि मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने वाला आदेश

धारा 8 के तहत धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं है और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील योग्य नहीं होगी। धारा 13 (1) के परंतुक में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को शामिल करने का अंतिम कारण जो भी हो, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड v. जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011) 8 एससीसी 333: (2011) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] लागू होगा, और ऐसा होने पर, मध्यस्थता की धारा 50 के तहत दायर अपीलें

अधिनियम को केवल धारा 50 की कवायद का पालन करना होगा।

22. वास्तव में, यह धारा 50 की भाषा से ही मिलता है। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, केवल धारा 50 ही अपील प्रदान करती है। अपील के लिए प्रावधान करने के बाद, अपील का मंच "ऐसे आदेशों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय" पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए, धारा 50 को ठीक से पढ़ने का अर्थ यह होगा कि यदि कोई अपील उक्त प्रावधान के तहत है, तो अकेले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) को उस मंच को निर्धारित करने के रूप में आकर्षित किया जाएगा जो ऐसी अपील की सुनवाई और निर्णय करेगा।

XXX

XXX

XXX

27. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। दोनों कानूनों के उद्देश्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता स्वयं पक्षों के बीच विवादों का त्वरित समाधान है। समान रूप से, यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यावसायिक रूप से एक समान भागीदार के रूप में बने रहना है, तो विदेशी पुरस्कारों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन का कारण यह है कि अधिक राशि वाले वाणिज्यिक विवादों का तेजी से निर्णय लिया जाना चाहिए। दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों को देखते हुए, यदि हम एक अतिरिक्त अपील प्रदान करते हैं, जब धारा 50 विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के लिए एक अपील को समाप्त कर देती है, तो हम मध्यस्थता अधिनियम और

वाणिज्यिक न्यायालय उनके शीर्ष पर अधिनियम बनाते हैं। मान लीजिए, यदि भारत में लागू किए जाने वाले विदेशी पुरस्कार में निहित राशि 1 करोड़ रुपये से कम थी, और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को इस तरह के पुरस्कार को लागू करना था, तो विदेशी पुरस्कारों को तेजी से लागू करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई अपील नहीं होगी। हालाँकि, यदि इसी तथ्य की परिस्थिति में, एक विदेशी पुरस्कार 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का होना था, यदि अपीलकर्ता सही हैं, तो अपील प्रदान करके इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन में और देरी होगी। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत। ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के सीधे विपरीत होगी। 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का त्वरित समाधान। इस कारण से भी, हम महसूस करते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) का अर्थ अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुसार लगाया जाना चाहिए। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का कोई भी निर्माण, जिससे और देरी होगी, [2019] 17 एस. सी. आर.

मध्यस्थता अधिनियम, बनाम अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात्, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, जिसे मध्यस्थता के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया है।

14. इस तथ्य को देखते हुए कि अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के तहत, जो केवल अपील दायर करने का मंच प्रदान करता है, यह केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के मापदंड हैं जिन पर यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान अपीलें विचारणीय थीं। धारा 37 (1) यह स्पष्ट करती है कि अपील केवल उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित आदेशों से होगी और किसी अन्य से नहीं। कबूतर छेद जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में यह कहने के लिए चुना है कि

उपखंड (ग) में कहा गया है कि वर्तमान मामलों में अपीलें विचारणीय थीं।

उच्च न्यायालय के अनुसार, यहां तक कि जहां धारा 34 के आवेदन को उपयुक्त न्यायालय में वापस करने का आदेश दिया जाता है, ऐसा आदेश "धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने" के आदेश के बराबर होगा। 15. दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1 ए) के प्रावधान के तहत सीपीसी का आदेश XLIII भी है

उल्लेख किया है। आदेश XLIII नियम (1) (ए) इस प्रकार हैः

" 1. आदेशों से अपील। - धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेशों से एक अपील होगी, अर्थात्

(क) आदेश VII के नियम 10 के तहत एक आदेश जो उचित न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली शिकायत को लौटाता है, सिवाय इसके कि प्रक्रिया

आदेश VII के नियम 10 ए में निर्दिष्ट का पालन किया गया है।

16. यह प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है, जिसे अकेले धारा 34 के तहत खारिज करने या पुरस्कारों को अलग करने से इनकार करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है। इसके अलावा, विवादित द्वारा क्या याद किया जाता है

निर्णय "धारा 34 के तहत" शब्द हैं। इस प्रकार, एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार धारा 34 के तहत होना चाहिए, अर्थात, धारा 34 में निर्धारित आधारों को विचाराधीन मध्यस्थता पुरस्कार पर लागू किए जाने के बाद, और न्यायालय द्वारा ऐसे आधारों को अस्वीकार करने के बाद। मान लीजिए, इन मामलों के तथ्यों पर, बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम की धारा 34 के तहत कोई निर्णय नहीं हुआ था।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1996-बस इतना ही किया गया कि गुरुग्राम के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय ने आदेश VII नियम 10 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन की अनुमति दी, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि गुरुग्राम के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय को धारा 34 आवेदन के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, और इसलिए, ऐसा आवेदन।

नई दिल्ली स्थित सक्षम अदालत को वापस करना होगा।

पैराग्राफ 14 और 15), और आर्कोट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड v. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य। (2013) 16 एस. सी. सी. 1 (एट अनुच्छेद 20)। उन्होंने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख किया जिसे दक्षिण दिल्ली नगर निगम बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। टेक महिंद्रा

2019 का ई. एफ. ए. (ओ. एस.) (कम.) 3, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश का आदेश, जिसने प्रदत्त राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील योग्य नहीं होगा, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाएगा। चर्चा के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहाः

" 12. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि

वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है। अपीलार्थी का उपाय स्पष्ट रूप से कहीं और है। यह आग्रह करने का प्रयास किया गया कि यदि कोई शिकायत है तो किसी भी वादी को उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता हैः यू. बी. आई. जस इबी
हालाँकि, यह तर्क पूरी तरह से सारहीन है क्योंकि एक अपील, जिस पर बार-बार जोर दिया गया है, क़ानून का एक विशिष्ट निर्माण है और इसे एक मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

सही से। इसे गंगा बाई बनाम में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। विजय कुमार,

(1974) 2 एस. सी. सी. 393, निम्नलिखित शब्दों मेंः

" मुक़दमे के अधिकार और अपील के अधिकार के बीच एक बुनियादी अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति में नागरिक प्रकृति का मुकदमा लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है और जब तक कि मुकदमा क़ानून द्वारा वर्जित नहीं है, तब तक कोई अपनी पसंद का मुकदमा ला सकता है। यह किसी मुकदमे का कोई जवाब नहीं है कि दावा कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कि कानून मुकदमा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसकी रखरखाव के लिए एक मुकदमे के लिए कानून के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून मुकदमे को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन अपीलों के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अपील का अधिकार [2019] 17 एस. सी. आर

किसी में निहित नहीं है और इसलिए इसकी रखरखाव के लिए अपील को कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। यह बताता है कि अपील के अधिकार को कानून के रूप में क्यों वर्णित किया गया है।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान अपील स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है; इसलिए अपील खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं। "

18. श्री चौधरी ने एक अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय का भी उल्लेख किया

हमानप्रीत सिंह सिद्धू बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। आर्केडिया शेयर और

एक्स ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड 2016 234 डीएलटी 30 (डीबी), जिसमें एक विद्वान

ई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक आवेदन को मंजूरी दी

धारा 34 याचिका दायर करने में देरी। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील विचारणीय नहीं होगी।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37, वाणिज्यिक के साथ पढ़ें

टीएस अधिनियम, 2015 ने अभिनिर्धारित कियाः

" 10. धारा 37 (1) पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि एक अपील धारा 37 (1) पर आने से हो सकती है, यह स्पष्ट है कि एक अपील केवल खंड (ए), (बी) या (सी) में निर्दिष्ट आदेशों से हो सकती है। में।

दूसरे शब्दों में, धारा 37 के तहत एक अपील केवल होगी

(ए) ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने वाला आदेश; (बी) ए एंड सी की धारा 9 के तहत कोई उपाय देने या देने से इनकार करने वाला आदेश।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। विवादित आदेश के आधार पर, 10.09.2013 दिनांकित मध्यस्थता पुरस्कार को अलग नहीं किया गया है। न ही अदालत ने इस स्तर पर उक्त मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार किया है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत। वास्तव में, अपीलार्थी जिसके पक्ष में पुरस्कार दिया गया है, केवल तभी व्यथित होगा जब -

पुरस्कार को पूरी तरह या आंशिक रूप से अलग रखा जाना था। ऐसा नहीं हुआ है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो किया है वह धारा 34 के तहत याचिका को फिर से दायर करने में देरी को माफ करना है।

इसने किसी भी तरह से पुरस्कार को प्रभावित नहीं किया है। बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

19. इस निर्णय में तर्क हमारे लिए स्वयं की सराहना करता है, क्योंकि उन निर्णयों के बीच एक अंतर किया जाता है जो या तो दरकिनार कर देते हैं, या दरकिनार करने से इनकार करते हैं, एक मध्यस्थता पुरस्कार जिसके बाद अदालत मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 पर अपना दिमाग लगाती है। देरी की क्षमा, जो किसी भी तरह से मध्यस्थता पुरस्कार को प्रभावित नहीं करती है जिस पर हमला किया गया है।

20. हालांकि, श्रीमती. आचार्य ने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया।

(ऊपर)। उस मामले के तथ्यों पर, 28.02.2017 पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि एंट्रिक्स की याचिका की धारा 9 के तहत

बैंगलोर न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 बनाए रखने योग्य नहीं था, और यह कि धारा 9 के तहत देवास की याचिका बनाए रखने योग्य थी, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं था। आदेश में यह भी कहा गया कि परिणामस्वरूप, बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एंट्रिक्स की याचिका विचारणीय नहीं होगी, क्योंकि धारा 9 के तहत दिल्ली में दायर देवास की याचिका पहले दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और एंट्रिक्स को एक अधिकृत अधिकारी का एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पिछले तीन वर्षों के अपने लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते शामिल किए गए। एंट्रिक्स फिर

इस आदेश के खिलाफ अपील की गई, जिस पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह अपील मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगी। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 और 42 को निर्धारित करने के बाद, डिवीजन बेंच ने हमानप्रीत सिंह सिद्धू (ऊपर) को नोटिस किया।

पैराग्राफ 39, फैसले के पैराग्राफ 10 (जो यहाँ ऊपर दिया गया है) पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना। इसके बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 42. जबकि निर्विवाद रूप से, विवादित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 9 की याचिका पर अंत में निर्णय नहीं लिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, एंट्रिक्स का कहना है कि विवादित आदेश धारा 9 के तहत एक आदेश से अप्रभेद्य है। हालांकि, देवताओं ने तर्क दिया कि घटनाओं का क्रम पूरा नहीं हुआ है। अपील में इस अदालत से संपर्क करने से पहले एंट्रिक्स को धारा 9 के तहत एक प्रतिकूल आदेश का सामना करना चाहिए। इस मुद्दे पर, सैमसन मैरीटाइम (ऊपर) में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर महत्वपूर्ण निर्भरता रखी गई है। उस मामले में, अदालत ने कहाः

" प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि [2019] 17 एस. सी. आर. प्रस्तुत करने की मांग करने वाला आवेदन।

परिसंपत्तियों के विवरण को अंतरिम नहीं माना जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत विचार किए गए उपाय या अंतरिम राहत। मैं उक्त तर्क को इस कारण से स्वीकार करने के लिए आश्वस्त नहीं हूं कि वे विवरण आवेदक द्वारा केवल प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने में प्रतिवादी की विफलता की स्थिति में परिणामी या अनुवर्ती राहत पाने के लिए मांगे गए हैं। इसलिए, जैसा कि इस आवेदन में मांगी गई राहत का दूसरे आवेदन में मांगी गई राहत पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने की मांग करने वाले आवेदनों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिसंपत्तियों के विवरण की मांग करने वाली यह राहत धारा 9 के दायरे से बाहर है। इसलिए, मुझे लगता है कि परिसंपत्तियों के विवरण के लिए दायर आवेदन भी बनाए रखने योग्य है।

43. सैमसन मैरीटाइम (ऊपर) में न्यायालय ने तर्क दिया कि परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन भी धारा 9 के तहत एक अंतरिम उपाय के बराबर होगा, क्योंकि यह कारण कि उन विवरणों की मांग केवल प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने में प्रतिवादी की विफलता की स्थिति में परिणामी या अनुवर्ती राहत प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसलिए, एक आदेश जो एक पक्ष को अनिवार्य करता है

उसकी संपत्ति का खुलासा करना या उसके खाते दाखिल करना भी धारा 9 के अर्थ के भीतर एक अंतरिम उपाय होगा। इस मामले में, विवादित आदेश के पैराग्राफ 57 के माध्यम से, लर्नड सिंगल जज ने एंट्रिक्स को एक अधिकृत अधिकारी का एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें पिछले तीन वर्षों के अपने लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों को शामिल किया गया था। सैमसन मैरीटाइम (उपरोक्त) मामले में न्यायालय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जिससे यह न्यायालय सहमत है, यह भी प्रभावी रूप से धारा 9 का आदेश होगा क्योंकि वे विवरण न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से मांगे गए हैं।

क्या एंट्रिक्स के खिलाफ मध्यस्थता निर्णय से देय राशि प्राप्त करने के लिए देवास को परिणामी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा, यह न्यायालय इस मामले में एक सैद्धांतिक और अटूट दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, जब यह स्पष्ट है कि एंट्रिक्स को विवादित आदेश के माध्यम से एक शेष झटका के अलावा सभी का सामना करना पड़ा है, और इसलिए, न्यायालय को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपील पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले अंतिम झटका (अंतिम धारा 9 के आदेश) का सामना न करे।

अदालत का एंट्रिक्स को निर्देश है कि वह मांगी गई जानकारी के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करे, ताकि संभावित बाधा, कुर्की या अंतरिम राहत के लिए इस तरह के परिणामी आदेश के संबंध में उसके आदेश की सहायता की जा सके। ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अदालत इसे अनिवार्य बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी की दिशा में एक प्रस्तावना या महत्वपूर्ण कदम के रूप में निर्देशित नहीं करती है।

बनाए रखने योग्य।

44. यह अदालत एंट्रिक्स के तर्क में भी योग्यता पाती है कि

एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों के संबंध में कि बैंगलोर अदालत मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती है, विवादित आदेश वास्तव में अंतिम है। यह प्रभावी रूप से एंट्रिक्स को अपने अनुभाग के साथ आगे बढ़ने से रोकता है

34 उस न्यायालय के समक्ष याचिका (लंबित धारा के आधार पर)

9 उस अदालत के समक्ष याचिका)। यदि एंट्रिक्स इस फैसले को स्वीकार करता है, तो इसका प्रभाव बैंगलोर की अधिकार क्षेत्र की अदालत को बदनाम करने के लिए होगा। यह तर्क दिया गया था-और सही ढंग से, इस अदालत की राय में कि एक अदालत यह तय करने में अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करती है कि क्या उसके पास किसी मामले के कारण पर अधिकार क्षेत्र है या नहीं, दूसरे अदालत के अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में उसके द्वारा घोषणा, बाद के अदालत के समक्ष मामले की सराहना के आधार पर निर्विवाद रूप से एक प्रतिकूल आदेश है। इसे खड़ा होने देना होगा

हर समय के लिए पूर्वाग्रह एंट्रिक्स "।

21. यह देखा जा सकता है कि इस निर्णय के तर्क का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिवीजन बेंच ने कहा कि

कि एंट्रिक्स को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए, उसके साथ पिछले तीन वर्षों के लिए अपनी लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते को संलग्न करते हुए, यह स्वयं मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत पारित एक अंतरिम आदेश है। अदालत का आगे यह तर्क कि एंट्रिक्स को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश भविष्य के अंतरिम आदेश की सहायता के लिए है, जो कि केवल परिणामी होगा, हमारे लिए स्वयं की सराहना नहीं करता है। अंतरिम आदेश की दिशा में एक कदम किसी भी उपाय को देने या देने से इनकार करने के बराबर नहीं होगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत। मामला इस कारण से भी अलग है कि बैंगलोर न्यायालय के संबंध में, जो मामले के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, उसमें विवादित आदेश वास्तव में अंतिम है और इसलिए, धारा 37 के तहत भी अपील की जा सकती है। इन सभी कारणों से, यह निर्णय पूरी तरह से अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। हम इस तथ्य का भी विज्ञापन कर सकते हैं कि कांडला (ऊपर) में हमारा निर्णय 07.02.2018 पर दिया गया था, और एंट्रिक्स में डिवीजन बेंच द्वारा चूक गया था।

निगम लिमिटेड (ऊपर), डिवीजन बेंच के रूप में आरक्षित था

06.12.2017 पर निर्णय, भले ही इसने अंततः 30.05.2018 पर निर्णय सुनाया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (उपरोक्त) में निर्णय [2019] 17 एस. सी. आर. को संदर्भित किए जाने के बाद लिया गया था।

कांडला (ऊपर), जिसके परिणामस्वरूप एक जमा आदेश को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील योग्य नहीं माना जा रहा है।

22. अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में दायर अपीलें

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत नहीं आते हैं और बनाए रखने योग्य नहीं हैं। 23. अब हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादित निर्णय को दी गई चुनौती के दूसरे भाग की जांच करते हैं, जो

पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" का निर्धारण। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में बाल्को (उपरोक्त) और इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख किया गया है। लिमिटेड (उपर्युक्त), और इस न्यायालय के अन्य निर्णय, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड नहीं है

मध्यस्थता के "स्थान" को संदर्भित करें, लेकिन केवल मध्यस्थता के "स्थान" को संदर्भित करता है। नतीजतन, विवादित फैसले में कहा गया है कि चूंकि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा फरीदाबाद और फरीदाबाद में उत्पन्न हुआ था।

वाणिज्यिक न्यायालय से पहले संपर्क किया गया था, अकेले फरीदाबाद न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा, और नई दिल्ली की अदालतों के पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इन प्रस्तावों की शुद्धता पर हमारे सामने जोरदार हमला किया गया है, और इसलिए यह है

इस बात पर कानून को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता कार्यवाही का "न्यायिक स्थान" क्या है, और क्या, एक बार मध्यस्थता समझौते द्वारा स्थान को चित्रित करने के बाद, मध्यस्थता कार्यवाही पर अकेले स्थान पर अदालतों का अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान

24. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में मध्यस्थता कार्यवाही के "न्यायिक स्थान" का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। मध्यस्थता की योजना के तहत

अधिनियम, 1940 की धारा 14 में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 14. हस्ताक्षरित और दाखिल किया जाने वाला पुरस्कार।

(1) जब मध्यस्थ या अंपायर अपना निर्णय दे देते हैं, तो वे उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसे बनाने और हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को लिखित सूचना देंगे।

के संबंध में देय शुल्क और शुल्क की राशि

मध्यस्थता और पुरस्कार।

(2) मध्यस्थ या अंपायर, मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष के अनुरोध पर या ऐसे पक्ष के तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर या यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है और बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. V.

मध्यस्थता और पुरस्कार के संबंध में देय शुल्क और शुल्कों का भुगतान और पुरस्कार दाखिल करने की लागत और शुल्क, किसी भी बयान और दस्तावेजों के साथ पुरस्कार या इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति का कारण बनते हैं जो

हो सकता है कि उन्हें न्यायालय में दायर करने के लिए उनके समक्ष लिया गया हो और साबित किया गया हो, और न्यायालय तब नोटिस देगा।

पुरस्कार दाखिल करने वाले पक्षों को।

(3) जहाँ मध्यस्थ या अंपायर एक विशेष मामला बताते हैं

धारा 13 के खंड (बी) के तहत, अदालत, पक्षों को नोटिस देने और उन्हें सुनने के बाद, फैसला सुनाएगी

उस पर उसकी राय और ऐसी राय को पुरस्कार में जोड़ा जाएगा और इसका हिस्सा बनाया जाएगा।

25. जब पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए गए और अदालत में दायर किया गया, तो एक निर्णय

पुरस्कार का एम. एस. तब इस प्रकार किया जाना थाः

" 17. पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय। - जहाँ न्यायालय नहीं देखता है

पुरस्कार या निर्दिष्ट मामलों में से किसी को प्रेषित करने का कारण

पुनर्विचार के लिए या पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए मध्यस्थता, न्यायालय आवेदन करने के समय के बाद, अलग रखने के लिए

पुरस्कार की अवधि समाप्त हो गई है, या ऐसा आवेदन किया गया है

इसे अस्वीकार करते हुए, के अनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ें

अधिनिर्णय, और इस प्रकार घोषित निर्णय पर एक डिक्री

इसका पालन करें, और इस तरह की डिक्री से कोई अपील नहीं होगी सिवाय इसके कि

इस आधार पर कि यह अधिक है, या अन्यथा इसके अनुसार नहीं है,

पुरस्कार "।

26. यह इस व्यवस्था में था कि "न्यायालय" को धारा द्वारा परिभाषित किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 निम्नानुसार हैः

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ में,

XXX

XXX

XXX

(ग) "न्यायालय" से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता विषय बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने की है-यदि समान हो तो संदर्भ का विषय। मुक़दमे का विषय था, लेकिन नहीं, सिवाय इसके कि

धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्य में शामिल हैं -

एक लघु कारण न्यायालय; " 27. धारा 31, जो उस न्यायालय से संबंधित है जिसमें एक अधिनिर्णय

दाखिल किया जाए फिर निम्नानुसार कहा जाए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 31. क्षेत्राधिकार।

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उस मामले में अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में एक पुरस्कार दायर किया जा सकता है जिससे संदर्भ संबंधित है।

(2) तत्काल प्रभाव में किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद और जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किया गया है, किसी पुरस्कार या मध्यस्थता समझौते की वैधता, प्रभाव या अस्तित्व के बारे में सभी प्रश्न

समझौते के पक्षों या व्यक्तियों के बीच उनके तहत दावा करने का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें समझौते के तहत पुरस्कार दिया गया है, या हो सकता है

दायर किया जाए, और किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं।

(3) मध्यस्थता के संचालन के संबंध में सभी आवेदन

ऐसी कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही या अन्यथा उस न्यायालय में की जाएगी जहां पुरस्कार दिया गया है,

या दायर किया जा सकता है, और किसी अन्य न्यायालय में नहीं।

(4) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कहीं और किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संदर्भ में इस अधिनियम के तहत कोई आवेदन उस पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में किया गया है, अकेले उस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही और उस संदर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकारिता होगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी।

28. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस वैधानिक व्यवस्था में, "स्थान" में

जिसे पुरस्कार दिया जाता है, उसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस तथ्य को देखते हुए, "न्यायालय" को किसी भी सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसके पास मध्यस्थता के संदर्भ के विषय को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था, यदि -

एक मुक़दमे का विषय भी यही था।

29. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पर UNCITRAL मॉडल कानून

मध्यस्थता (संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाया गया)

21 जून 1985 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून) (इसके बाद "UNCITRAL मॉडल कानून" के रूप में संदर्भित) को इस देश द्वारा अपनाया गया था। UNCITRAL मॉडल कानून ने "स्थान" या "सीट" की अवधारणा पेश की।

माध्यस्थम कार्यवाहियों का विवरण इस प्रकार हैः

" अनुच्छेद 1. अनुप्रयोग का दायरा बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v.

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

XXX

XXX

XXX

(2) अनुच्छेद 8,9,35 और 36 को छोड़कर इस कानून के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब मध्यस्थता का स्थान इस राज्य के क्षेत्र में हो।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 2. व्याख्या की परिभाषाएँ और नियम

XXX

XXX

XXX

((ग) "न्यायालय" से किसी राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक निकाय या अंग अभिप्रेत है; XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 6. मध्यस्थता सहायता और पर्यवेक्षण के कुछ कार्यों के लिए न्यायालय या अन्य प्राधिकरण

अनुच्छेद 11 (3), 11 (4), 13 (3), 14,16 (3) और 34 (2) में निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन इसके द्वारा किया जाएगा।

प्रतिमान विधि न्यायालय, न्यायालय या, जहाँ उसमें निर्दिष्ट किया गया है, इन कार्यों को करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी को निर्दिष्ट करती है।]

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 20। मध्यस्थता का स्थान

(1) पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के समझौते में विफल होने पर, मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सुविधा भी शामिल है -

दलों को।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के बावजूद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

सुनवाई के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए

गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों, या के निरीक्षण के लिए

माल, अन्य संपत्ति या दस्तावेज।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 31। पुरस्कार का प्रपत्र और सामग्री

XXX

XXX

XXX

(3) पुरस्कार में अपनी तिथि और मध्यस्थता का स्थान अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यह पुरस्कार उस स्थान पर दिया गया माना जाएगा। "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को निरस्त कर दिया। अपनी प्रस्तावना में कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून के प्रावधानों को अपनाया, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रावधान बनाया था।

31. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 माध्यस्थम अधिकार 'न्यायालय' के 'स्थान' को संदर्भित करता है, और इंगित करता है कि भाग I की कई धाराओं में मध्यस्थता कार्यवाही के लिए किन न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।ई) और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (2) इस प्रकार हैंः

" 2. परिभाषाएँ।

(1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

XXX

XXX

XXX

((ङ) "न्यायालय" का अर्थ है

(i) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता के मामले में

वाणिज्यिक मध्यस्थता, का प्रमुख दीवानी न्यायालय एक जिले में मूल अधिकार क्षेत्र, और अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय शामिल है,

मध्यस्थता का विषय बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र होने पर, यदि वे ही वाद का विषय रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख सिविल से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय शामिल नहीं है। न्यायालय, या छोटे कारणों का कोई भी न्यायालय;

((ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वाद का विषय बनने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र रखता है-यदि वह वाद का विषय था-और अन्य मामलों में, एक उच्च न्यायालय जिसे फरमानों से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र है।

उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के;

XXX

XXX

XXX

(2) यह भाग वहाँ लागू होगा जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में है।

बशर्ते कि इसके विपरीत एक समझौते के अधीन,

उप-धारा (1) की धारा 9,27 और खंड (ए) के प्रावधान और

धारा 37 की उप-धारा (3) अंतर्राष्ट्रीय बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v. पर भी लागू होगी।

वाणिज्यिक मध्यस्थता, भले ही मध्यस्थता का स्थान बाहर हो

भारत, और इस तरह के स्थान पर किया गया या किया जाने वाला एक मध्यस्थ पुरस्कार

के भाग II के प्रावधानों के तहत प्रवर्तनीय और मान्यता प्राप्त है

यह अधिनियम।

32. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20,31 (4) और 42

कमियाँः

" 20. मध्यस्थता का स्थान।

(1) पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर,

मध्यस्थता का स्थान पक्षकारों की सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के होते हुए भी, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जब तक कि इसके द्वारा अन्यथा सहमत न हो जाए -

पक्षकार अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए, गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए, या दस्तावेजों, वस्तुओं या अन्य संपत्ति के निरीक्षण के लिए किसी भी स्थान पर मिलते हैं।

" 31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु।

XXX

XXX

XXX

(4) माध्यस्थम अधिनिर्णय में धारा 20 के अनुसार निर्धारित की गई अपनी तिथि और मध्यस्थता का स्थान बताया जाएगा और यह माना जाएगा कि अधिनिर्णय निम्नानुसार किया गया था -

उस जगह "।

" 42. क्षेत्राधिकार। - कुछ भी शामिल होने के बावजूद

इस भाग में या कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून में

बल, जहाँ किसी मध्यस्थता समझौते के संबंध में कोई

इस भाग के तहत किसी भी न्यायालय में आवेदन किया गया है, कि

मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में की जाएगी और कोई अन्य नहीं अदालत "।

33. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि नए प्रावधानों में

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 और 31 (4) UNCITRAL मॉडल कानून की धारा 20 और 31 (3) की प्रतिकृति हैं, जिसमें गर्व [2019] 17 एस. सी. आर.

मध्यस्थता कार्यवाही के न्यायिक स्थान को स्थान दिया जाता है। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) में "न्यायालय" की परिभाषा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में निहित परिभाषा को जारी रखती है, लेकिन किसी भी और प्रत्येक दीवानी न्यायालय को केवल मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित करती है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 भी काफी हद तक मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 31 (4) का पालन करती है।

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि "न्यायिक" की नई अवधारणा को देखते हुए

मध्यस्थता कार्यवाहियों की पीठ और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा इस "सीट" को दिए गए महत्व के अनुसार, मध्यस्थता पुरस्कार में अब न केवल अपनी तारीख, बल्कि धारा 20 के अनुसार निर्धारित मध्यस्थता का स्थान भी बताया गया है। हालांकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 2 (1) (सी) में निहित "न्यायालय" की परिभाषा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में जारी रही, हालांकि इसका अर्थ केवल मूलधन तक सीमित था।

दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने मूल सामान्य दीवानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। इस प्रकार, मध्यस्थता कार्यवाही के न्यायिक स्थान की अवधारणा और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसके संबंध जो तब मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामलों को देखने के लिए हैं-जिनमें चुनौती भी शामिल हैं।

मध्यस्थता पुरस्कारों के लिए-स्पष्ट नहीं था, और इस न्यायालय द्वारा मामले के आधार पर एक मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार विकसित किया जाना था। 35. इस न्यायालय के कुछ प्रारंभिक निर्णयों ने मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" और "स्थान" के बीच ठीक से अंतर नहीं किया। बाल्को (ऊपर) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इस समस्या से निम्नलिखित तरीके से निपटाः

" 75. हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता को मध्यस्थता की गंभीरता का केंद्र नहीं बनाता है।

मध्यस्थता। इसके विपरीत, इसे अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

कि अधिकांश राष्ट्रीय कानूनों में, मध्यस्थता मध्यस्थता के स्थान/स्थान/स्थिति पर आधारित होती है। पैरा 3.54 में रेडफर्न ने निष्कर्ष निकाला है कि

" इस प्रकार मध्यस्थता का स्थान इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना अभिप्रेत है। [ब्लैकबी, पार्टासाइड्स, रेडफर्न और हंटर ( ), रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (5 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यूयॉर्क 2009)।] हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियाँ मध्यस्थता के स्थान पर होनी चाहिए। मध्यस्थ कभी-कभी अधिक सुविधाजनक स्थानों पर बैठकें आयोजित करते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि मध्यस्थ अक्सर अलग-अलग देशों से आते हैं।

यह बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसलिए, अवसरों पर कुछ बैठकों को किसी ऐसे स्थान पर आयोजित करना सुविधाजनक हो सकता है जो सभी के लिए सुविधाजनक हो। इस तरह की स्थिति की जाँच इंग्लैंड में अपील न्यायालय द्वारा नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. में की गई थी। कम्पानिया

इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू [(1988) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सीए)] जिसमें पी। 121 यह निम्नलिखित रूप में देखा जाता हैः

" पूर्ववर्ती चर्चा इस आधार पर हुई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही स्थान है। यह पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से चुना गया स्थान होगा और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवृत्त में निर्दिष्ट किया जाएगा।

कार्यवाहियों का या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या 'स्थान' के रूप में। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए बैठकें आयोजित करना या यहां तक कि यह किसी भी तरह से असामान्य नहीं है निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सुनवाई

मध्यस्थता, या तो अपनी सुविधा के लिए या

पक्षकारों या उनके गवाहों की सुविधा। उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से, एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान बदल जाता है। मध्यस्थता का स्थान प्रारंभ में पक्षों द्वारा या उनकी ओर से सहमत होने का स्थान बना रहता है।

76. यह इंगित किया जाना चाहिए कि उस स्थान या स्थान का कानून जहां मध्यस्थता आयोजित की जाती है, आम तौर पर इसे नियंत्रित करने वाला कानून है

मध्यस्थता। मध्यस्थता के स्थान और उस मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के बीच क्षेत्रीय संबंध अंतरराष्ट्रीय उपकरणों, अर्थात् 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन और 1985 के UNCITRAL मॉडल लॉ में अच्छी तरह से स्थापित है। यह सच है कि "आसन" और "स्थान" शब्दों का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन

[ब्लैकबी, पार्टासाइड्स, रेडफर्न एंड हंटर (एड.), रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (5 वीं एड.)। , ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यूयॉर्क 2009)।] (पैरा 3.51), सीट सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः यह अवधारणा कि एक मध्यस्थता उस स्थान के कानून द्वारा शासित होती है जिसमें यह आयोजित किया जाता है, जो 'सीट' (या [2019] 17 एस. सी. आर. है।

' मध्यस्थता का मंच या लोकस आर्बिट्री), अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में अच्छी तरह से स्थापित है। वास्तव में, जिनेवा प्रोटोकॉल, 1923 में कहा गया हैः

" 2. के संविधान सहित मध्यस्थता प्रक्रिया

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, पक्षों की इच्छा से शासित होगा

और उस देश के कानून द्वारा जिसके क्षेत्र में मध्यस्थता

हो जाता है "।

उस देश का जहाँ मध्यस्थता हुई थी "[अनुच्छेद V (1) (d)] और, पर्याय के रूप में" उस देश के कानून का जहाँ पुरस्कार दिया गया था। बनाया गया है "[अनुच्छेद V (1) (a) और (e)]। उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन स्पष्ट रूप से जारी है

मध्यस्थता के स्थान और कानून के बीच क्षेत्रीय संबंध

उस मध्यस्थता को नियंत्रित करना। लेखक आगे बताते हैं कि इस क्षेत्रीय कड़ी को फिर से मॉडल कानून में बनाए रखा गया है जो

अनुच्छेद 1 (2) में प्रावधान किया गया है किः

" 1. (2) अनुच्छेद 8,9,35 को छोड़कर इस कानून का प्रावधान और 36 , केवल तभी लागू करें जब मध्यस्थता का स्थान के क्षेत्र में हो

राज्य "।

जिस तरह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता के स्थान और उसके मध्यस्थता के कानून के बीच क्षेत्रीय संबंध को बनाए रखता है, उसी तरह स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में कानून भी मध्यस्थता के स्थान और लेक्स मध्यस्थता के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाए रखता है। स्विस कानून में कहा गया हैः

" 176 (आई)। (1) इस अध्याय का प्रावधान किसी भी मध्यस्थता पर लागू होगा यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान

इन टिप्पणियों का बाद में भारत संघ बनाम में पालन किया गया। मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। [(1993) 2 लॉयड के प्रतिनिधि 48] XXX

XXX

XXX

95. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि

धारा 45 और धारा 48 (1) (ई) के साथ पठित धारा 2 (1) (ई), धारा 20 और धारा 28 यह स्पष्ट करती है कि भाग I केवल भारत में होने वाले मध्यस्थताओं तक ही सीमित नहीं है। ये प्रावधान बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. V. को इंगित करते हैं।

कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 विषय केंद्रित है और विशेष रूप से सीट केंद्रित नहीं है। इसलिए, जहां तक मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का संबंध है, "सीट" "गुरुत्वाकर्षण का केंद्र" नहीं है। हमारा मानना है कि उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या क्षेत्रीयता के सिद्धांत को सबसे आगे रखते हुए की जानी चाहिए। हम पहले देख चुके हैं कि धारा 2 (2) भाग I को भारत के बाहर बैठे या आयोजित मध्यस्थताओं पर लागू नहीं करती है। धारा 2 (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिम एक्सप्रेसम फेसिट सेसेरे टैसिटम, इसकी अनुमति नहीं देगा

भारत के बाहर स्थित या आयोजित मध्यस्थता के लिए भाग I के आवेदन को शामिल नहीं करता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए प्रावधानों में से कोई भी भाग I की किसी भी धारा को भारत के बाहर बैठे मध्यस्थता के लिए लागू नहीं करेगा। अब उपरोक्त प्रावधानों में से प्रत्येक पर बारी-बारी से विचार करना उचित होगा। 96. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) निम्नानुसार हैः

" 2. परिभाषाएँ

(1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो

हमारी राय है कि "मध्यस्थता की विषय वस्तु" शब्द को "वाद की विषय वस्तु" के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। यह शब्द " धारा 2 (1) (ई) में "विषय वस्तु" भाग I तक ही सीमित है। इसका विवाद समाधान की प्रक्रिया के साथ एक संदर्भ और संबंध है।

इसका उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले न्यायालयों की पहचान करना है। इसलिए, यह एक ऐसे न्यायालय को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया के केंद्र का न्यायालय होगा।

हमारी राय में, धारा 2 (1) (ई) के प्रावधान का अर्थ धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए जो [2019] 17 एस. सी. आर. देते हैं।

पार्टी की स्वायत्तता को मान्यता। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तावित संकीर्ण संरचना को स्वीकार करना, वास्तव में, धारा 20 को निरर्थक बना देगा। हमारे विचार में, विधायिका ने जानबूझकर दो न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र दिया है अर्थात वह न्यायालय जिसके पास अधिकार क्षेत्र होगा जहां कार्रवाई का कारण स्थित है और वे न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है। यह था। आवश्यक है क्योंकि कई अवसरों पर समझौता एक ऐसे स्थान पर मध्यस्थता का स्थान प्रदान कर सकता है जो दोनों पक्षों के लिए तटस्थ होगा। इसलिए, वे न्यायालय जहाँ मध्यस्थता होती है

मध्यस्थता प्रक्रिया पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए स्थान की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि मध्यस्थता दिल्ली में आयोजित की जाती है, जहां कोई भी पक्ष दिल्ली से नहीं है, (दिल्ली को मुंबई से एक पक्ष और कोलकाता से दूसरे पक्ष के बीच एक तटस्थ स्थान के रूप में चुना गया है) और दिल्ली में बैठे न्यायाधिकरण से पारित होता है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत एक अंतरिम आदेश, धारा 37 के तहत इस तरह के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दिल्ली के न्यायालयों में होनी चाहिए क्योंकि वे न्यायालय जिनके पास पर्यवेक्षी हैं।

मध्यस्थता कार्यवाहियों और न्यायाधिकरण पर अधिकारिता। यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि दायित्वों को

अनुबंध के तहत निष्पादित या तो मुंबई या कोलकाता में किया जाना था, और केवल दिल्ली में मध्यस्थता होनी है। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों न्यायालयों की अधिकारिता होगी, अर्थात वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद का विषय स्थित है और वे न्यायालय जिनकी अधिकारिता के भीतर विवाद समाधान, अर्थात मध्यस्थता स्थित है।

XXX

XXX

XXX

98. अब हम धारा 20 पर आते हैं, जो इस प्रकार हैः

20. मध्यस्थता का स्थान

(1) पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर,

मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

न्यायाधिकरण ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

पार्टियों की सुविधा सहित।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के बावजूद,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जब तक कि अन्यथा सहमत न हो जाए

दल, किसी भी स्थान पर मिलते हैं जिसके लिए वे उपयुक्त समझते हैं

गवाहों की सुनवाई के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श, बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी

v.

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विशेषज्ञ या पक्षकार, या दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए,

वस्तु या अन्य संपत्ति। "

धारा 20 का एक सादा अध्ययन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि कहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में है, पक्ष सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

भारत के भीतर किसी भी "स्थान" या "सीट" के लिए, चाहे वह दिल्ली हो या मुंबई आदि।

पक्षकारों के समझौते के अभाव में, धारा 20 (2)

न्यायाधिकरण को ऐसा स्थान/स्थान निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है मध्यस्थता। धारा 20 (3) न्यायाधिकरण को किसी भी स्थान पर बैठक करने में सक्षम बनाती है।

99. सबसे सुविधाजनक "स्थल" के निर्धारण का ध्यान रखा जाता है। धारा 20 (3) द्वारा। धारा 20, के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए

धारा 2 (2), जो एक सीमा निर्धारित करती है

भाग I की प्रयोज्यता, जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में है।

भाग I की अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रयोज्यता, जैसा कि द्वारा प्रचार किया गया है अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील, जहाँ तक विशुद्ध रूप से घरेलू है

मध्यस्थता का संबंध है "।

(जोर दिया गया)

36. इसके बाद न्यायालय ने कई अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख किया।

रोजर में निर्णय के कई हिस्सों को विशेष रूप से तिरछा किया गयाहौआ और ओआरएस। वी. मुकेश शर्मा [2009] ईडब्ल्यूएचसी 957 (कॉम)

कमियाँः

" 110. मामले में तथ्य स्थिति की जांच करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

सीट के क्यूरियल कानून के लिए, लेकिन सीट के न्यायालयों के लिए भी माध्यस्थम पर पर्यवेक्षी अधिकारिता होना, ताकि, द्वारा

सीट के लिए सहमत, दलों ने सहमति व्यक्त की कि किसी भी चुनौती के लिए

एक अंतरिम या अंतिम निर्णय केवल अदालतों में ही दिया जाना था।

मध्यस्थता के स्थान के रूप में निर्दिष्ट स्थान।

हालांकि, 'स्थान' 'सीट' का पर्याय नहीं था, एक में

मध्यस्थता खंड जो मध्यस्थता के संचालन के लिए प्रावधान करता है

पेरिस में आई. सी. सी. के नियमों के अनुसार (एक राष्ट्रीय

नियमों का निकाय), एक प्रावधान है कि 'मध्यस्थता का स्थान होगा

लंदन, यूनाइटेड किंगडम 'ने एक पदनाम के बराबर किया

न्यायिक सीट "।

संबंधित मुद्दों की संभावना के बारे में थोड़ी बहस हुई के अधिकार क्षेत्र में दावेदारों द्वारा कथित प्रस्तुत करने के लिए

दिल्ली उच्च न्यायालय की सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा रही है, क्योंकि यह

मुझे यह विचार शुरू में आकर्षक लगा, हम आश्वस्त हैं कि यह होगा सिद्धांत रूप में इसकी अनुमति देना गलत होगा और यह अनुचित पैदा करेगा

किसी भी स्थिति में व्यावहारिक समस्याएं। जो मैंने पहले ही तय कर लिया है, उसके आधार पर इंग्लैंड मध्यस्थता का केंद्र है और

क्योंकि यह अपने साथ एक विशेष के समान कुछ ले जाता है

अधिकारिता खंड, सिद्धांत रूप में विदेशी न्यायालय को उन मामलों का निर्णय नहीं करना चाहिए जो इस न्यायालय को तय करने हैं

मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा के संदर्भ में। उपरोक्त टिप्पणियाँ करने में, न्यायालय ने इस पर भरोसा किया

सी वी में अपील न्यायालय के निर्णय। डी (2007) ईडब्ल्यूसीए सिविल

1282 (सीए) "।

(मूल में जोर)

37. अंत में, अनुच्छेद 116 में निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार थाः " 116. कानूनी स्थिति जो सभी की दृष्टि से उभरती है

निर्णय, ऐसा प्रतीत होता है, कि दूसरे देश की पसंद के रूप में

मध्यस्थता का स्थान अनिवार्य रूप से एक स्वीकृति का आयात करता है कि के आचरण और पर्यवेक्षण से संबंधित उस देश का कानून

कार्यवाही पर मध्यस्थता लागू होगी।

38. साथ ही, पैराग्राफ 123 में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

" 123. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के संचालन का विनियमन

और किसी पुरस्कार को अदालतों द्वारा चुनौती देनी होगी

एक अदालत तब पर्यवेक्षी अदालत होती है जिसके पास शक्ति होती है पुरस्कार को रद्द करें। यह योजना के अनुसार है

अंतर्राष्ट्रीय उपकरण, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन और बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के साथ-साथ UNCITRAL मॉडल लॉ। यह उस क्षेत्रीय सिद्धांत को भी मान्यता देता है जो किसी देश के संप्रभु अधिकार को अपने राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से, अपने ही देश में किए जा रहे न्यायिक कर्तव्य को विनियमित करने के लिए प्रभावी बनाता है। एक तुलनात्मक उदाहरण के माध्यम से, हम टिप्पणियों को दोहरा सकते हैं

अपील न्यायालय, इंग्लैंड द्वारा सी वी में किया गया। डी [2008 बस एलआर 843: 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282 (सी. ए.)] जिसमें यह देखा गया है किः

" इससे पता चलता है कि इसके लिए सीट का चुनाव

समाधान की मांग के लिए मध्यस्थता मंच का एक विकल्प होना चाहिए

पुरस्कार पर हमला करने के लिए।

उपरोक्त मामले में, अपील न्यायालय ने मंजूरी दी थी ए वी में किए गए अवलोकन। बी [(2007) 1 ऑल ईआर (कॉम) 591:

(2007) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 237] जिसमें यह देखा गया है किः

..... मध्यस्थता के स्थान के बारे में एक समझौता है

एक अनन्य अधिकारिता खंड के अनुरूप। किसी मौजूदा अंतरिम या अंतिम निर्णय की वैधता के बारे में किसी उपचार के लिए कोई भी दावा केवल न्यायालयों में किए जाने पर सहमत है।

मध्यस्थता के स्थान के रूप में नामित स्थान।

39. इसके बाद न्यायालय ने पैराग्राफ 194 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

194. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विचार कर रहे हैं

राय है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 ने स्वीकार किया है

क्षेत्रीयता सिद्धांत जिसे अपनाया गया है

UNCITRAL मॉडल कानून। धारा 2 (2) एक घोषणा करती है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I भारत के भीतर होने वाले सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगा। हमारी यह सुविचारित राय है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग 1 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए।

इसलिए, ऐसे पुरस्कार केवल भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जब उन्हें लागू करने की मांग की जाएगी।

भारत में भाग 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। हमारी राय में, प्रावधान

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित यह स्पष्ट करता है कि प्रावधानों का कोई अतिव्यापी या परस्पर मिश्रण नहीं हो सकता है

के भाग II में निहित प्रावधानों के साथ भाग I में निहित

मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

40. सी. ओ. (उपरोक्त) के पैराग्राफ 75,76,96,110,116,123 और 194 को पढ़ने से पता चलेगा कि पार्टियों ने कहाँ सीट [2019] 17 एस. सी. आर. का चयन किया है।

अपने समझौते में मध्यस्थता के लिए, इस तरह का चयन तब एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के बराबर होगा, क्योंकि पक्षों ने अब संकेत दिया है कि "सीट" पर स्थित न्यायालयों को ही मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ चुनौतियों का समाधान करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो सीट पर दिए गए हैं। पैराग्राफ 96 में दिया गया उदाहरण इस प्रस्ताव को पुष्ट करता है, और ऊपर बताए गए पिछले और बाद के पैराग्राफ द्वारा समर्थित है। बी. ए. एल. सी. ओ. निर्णय (ऊपर दिया गया), जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो अंग्रेजी निर्णयों द्वारा निर्धारित "सीट" की अवधारणा को लागू करता है।

(और जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में है), धारा 2 (1) (ई) के साथ धारा 20 का सामंजस्यपूर्ण रूप से अर्थ निकालकर, ताकि "न्यायालय" की परिभाषा को व्यापक बनाया जा सके, और इसके भीतर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) के साथ

मध्यस्थता 1.

41. हालाँकि, इस प्रस्ताव का खंडन तब किया जाता है जब अनुच्छेद 96 उन न्यायालयों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र की बात करता है जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर

कार्रवाई का कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, और न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में विवाद समाधान अर्थात मध्यस्थता स्थित है।

42. पैराग्राफ 96 कई भागों में है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 2 (1) (ई), जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत "न्यायालय" की परिभाषा है, को संदर्भित किया गया था, और इसका अर्थ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान चुनने में पक्ष की स्वायत्तता को मान्यता देते हैं। दूसरा, न्यायालय ने उक्त पैराग्राफ में दो स्थानों पर कहा कि न्यायालयों के दो समूहों को अधिकारिता दी गई है, अर्थात् वे न्यायालय जिनके पास अधिकारिता होगी जहां कार्रवाई का कारण स्थित है; और वे न्यायालय जहां मध्यस्थता होती है। हालाँकि, जब मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" के रूप में एक तटस्थ स्थान प्रदान करने की बात आई,

1 अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 3 "सीट" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः " इस भाग में "मध्यस्थता का स्थान" का अर्थ है मध्यस्थता का न्यायिक स्थान।

(क) मध्यस्थता समझौते के पक्षों द्वारा, या (ख) किसी मध्यस्थ या अन्य संस्था या उस संबंध में शक्तियों वाले पक्षों द्वारा निहित व्यक्ति द्वारा, या

(ग) पक्षकारों के समझौते और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि पक्षकारों द्वारा इस प्रकार अधिकृत किया गया है, या ऐसे किसी पदनाम के अभाव में निर्धारित किया गया है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा। यह ध्यान दिया जाएगा कि यह धारा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के साथ निकटता से मेल खाती है। "न्यायालय" का अर्थ अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 105 में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत लॉर्ड चांसलर, आदेश द्वारा, अधिनियम के तहत कार्यवाही आवंटित करने और निर्दिष्ट करने का प्रावधान कर सकता है जो उच्च न्यायालय या काउंटी अदालतों में जा सकता है।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील केवल पीठ के न्यायालयों के लिए होगी-जो उस उदाहरण में दिल्ली है-जो मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय हैं। उदाहरण में आगे कहा गया है कि यह होगा

इस तथ्य के बावजूद कि दायित्वों का पालन किया जाना है

अनुबंध, जो कार्रवाई का कारण है, आंशिक रूप से मुंबई या कोलकाता में उत्पन्न हो सकता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता दिल्ली में होनी है। तथापि, उक्त पैराग्राफ में अगला वाक्य दोनों न्यायालयों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र को दोहराता है।

43. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, न ही उन्हें यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। सभी टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं।

यह सम्मानपूर्वक अमर नाथ ओम प्रकाश बनाम में रखा गया था। पंजाब राज्य (1985) 1 एस. सी. सी. 345, जहाँ इस न्यायालय ने कहाः

" अत्यंत सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश की इन टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, न ही किसी क़ानून के प्रावधान के रूप में। इन टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं।
हम यह कहना उचित समझते हैं, जैसा कि हम पहले ही अन्य मामलों में कह चुके हैं कि न्यायालयों के निर्णयों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिए -

क़ानून। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक हो सकता है।

चर्चाएँ लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके शब्द नहीं होने चाहिए
कानूनों के रूप में व्याख्या की गई।

लंदन ग्रेविंग डॉक कं. लिमिटेड बनाम हॉर्टन [1951 एसी 737,761: (1951) -2 सभी ई. आर. 1,14 (एच. एल.)] लॉर्ड मैकडर्मोट ने कहाः

“ इस मामले को, निश्चित रूप से, केवल विल्स, जे. के इप्सिसिमा वर्बा को संसद के एक अधिनियम का हिस्सा मानकर और व्याख्या के नियमों [2019] 17 एस. सी. आर. को लागू करके नहीं सुलझाया जा सकता है।

इसके लिए उपयुक्त। यह बड़े वजन से हटने के लिए नहीं है।

वास्तव में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा को दिया जाना

प्रतिष्ठित न्यायाधीश। गृह कार्यालय में v. डोरसेट यॉट कंपनी लिमिटेड [(1970) 2 सभी ई. आर. 295

: (1970) 2 डब्ल्यूएलआर 1140: 1970 एसी 1004 (एचएल)] लॉर्ड रीड ने कहाः

" लॉर्ड एटकिन का भाषण [डोनोग्वे वी। स्टीवनशन, 1932 ऑल ई. आर. रेप

1 , 11 : 1932 एसी 562,580: 101 एलजेपीसी 119: 147 एल. टी. 281 (एच. एल.)]

ऐसा नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि यह एक वैधानिक परिभाषा थी। यह होगा।

नई परिस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होती है।

मेगारी, जे. इन (1971) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1062 ने कहाः

" बेशक, किसी को भी एक आरक्षित निर्णय का अर्थ नहीं लगाना चाहिए।

यहाँ तक कि रसेल एल. जे. का भी, मानो यह संसद का एक अधिनियम हो। और, हैरिंगटन बनाम में। ब्रिटिश रेलवे बोर्ड [(1972) 2 डब्ल्यूएलआर

537 : (1972) 1 सभी एआर 749: 1972 ए. सी. 877 (एच. एल.)] लॉर्ड मॉरिस ने कहाः

" भाषण या भाषण के शब्दों के साथ व्यवहार करने में हमेशा खतरा होता है।

निर्णय मानो वे एक विधायी अधिनियम में शब्द थे,

और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक बयान दिए जाते हैं

किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना।

(जोर दिया गया)

44. हाल ही में, इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम. अमृत लाल

चंदा (2004) 3 एस. सी. सी. 75 निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 15. हिरासत के आदेशों को चुनौती देने वाले मामले और आदेश के निष्पादन के बाद अलग-अलग आधार पर खड़ा होता है। अदालतें

बिना चर्चा किए निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए

कैसे तथ्यात्मक स्थिति तथ्य की स्थिति के साथ फिट बैठती है

निर्णय लें कि किस पर निर्भरता रखी गई है। अदालतों की टिप्पणियाँ हैं -

कानून और वह भी उनके संदर्भ से बाहर ले जाया गया। ये टिप्पणियां उन्हें उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे प्रतीत होते हैं

बताया गया है। अदालतों के फैसलों को क़ानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

विधियों के शब्द; उनके शब्दों की व्याख्या इस रूप में नहीं की जानी चाहिए क़ानून "।

(जोर दिया गया)

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

45. किसी भी मामले में, एक निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, ताकि

निर्णय के सही अनुपात को प्रकट करने के लिए परस्पर विरोधी भागों का सामंजस्य किया जा सकता है। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, और यह पाया जाता है कि आंतरिक

निर्णय के भीतर संघर्षों को हल नहीं किया जा सकता है, फिर पहला प्रयास जो किया जाना चाहिए वह यह देखना है कि क्या एक अनुपात निर्णय को परस्पर विरोधी भाग के बिना निकाला जा सकता है। यदि नहीं, तो जैसा कि हार्पर और ओआरएस में लॉर्ड डेनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। वी. राष्ट्रीय कोयला बोर्ड (1974) 2 सभी ई. आर. 441, उस बिंदु पर पूर्ववर्ती की बाध्यकारी प्रकृति जिस पर एक निर्णय में संघर्ष होता है, एक बादल के नीचे आता है। 2 2

2 हार्पर (ऊपर) में, सेंट्रल एस्बेस्टस कंपनी लिमिटेड बनाम. डोड (1972) 2 ऑल ई. आर. 1135, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले को लागू करना पड़ा। यह पाया गया कि दो विद्वान लॉ लॉर्ड्स ने डोड के पक्ष में कानून के सवाल का फैसला किया, जबकि दो विद्वान लॉ लॉर्ड्स ने डोड के खिलाफ कानून के सवाल का फैसला करते हुए कहा कि उनका दावा वर्जित था। जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा, पांचवें लॉ लॉर्ड, लॉर्ड पियर्सन, विषम व्यक्ति थे, क्योंकि वे दो विद्वान लॉ लॉर्ड्स से सहमत थे कि कानून डोड के मामले का समर्थन नहीं करता था, लेकिन अल्पसंख्यक न्यायाधीशों से सहमत थे कि डोड के दावे पर रोक नहीं थी। इस मामले में, लॉर्ड डेनिंग ने डोड के मामले के पूर्ववर्ती मूल्य के बारे में इस प्रकार बात कीः फिर हम कानून पर कैसे खड़े होते हैं? हमने मिसाल के सिद्धांत पर श्री मैककुलो की सबसे उपयोगी चर्चा सुनी है। एक बात साफ है। हम केवल एक तर्क को स्वीकार कर सकते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वास्तविक निर्णय का समर्थन करता है। किसी भी संभावना से हम किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो निर्णय को गलत साबित करे। दूसरा प्रस्ताव यह है कि यदि हम उस तर्क की खोज कर सकते हैं जिस पर बहुमत ने अपने निर्णय को आधारित किया है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि यह हमारे लिए बाध्यकारी है। तीसरा प्रस्ताव यह है कि यदि हम उस तर्क की खोज कर सकते हैं जिसके आधार पर अल्पसंख्यक अपने निर्णय लेते हैं, तो हमें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। यह गलत होना चाहिए क्योंकि यह उन्हें गलत परिणाम की ओर ले गया। चौथा प्रस्ताव यह है कि यदि हम उस तर्क की खोज नहीं कर सकते हैं जिसके आधार पर बहुमत ने अपना निर्णय लिया है, तो हम उससे बाध्य नहीं हैं। हम किसी भी तर्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमें सही लगता है, जब तक कि यह सदन के वास्तविक निर्णय का समर्थन करता है।

उन प्रस्तावों के समर्थन में, मैं ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी में लॉर्ड डुनेडिन के भाषण का उल्लेख करूंगा। एस. एस. मोस्टिन [1928] ए. सी. 57,73-74, और लॉर्ड मैकडर्मोट के वाल्श बनाम के मालिक। करी [1955] एन. आई. 112,124-125, और ऑफ विस्काउंट सिमंड्स इन मिडलैंड सिलिकॉन्स लिमिटेड v. स्क्रूटन्स लिमिटेड [1962] ए. सी. 446,468-469। स्मिथ बनाम के लिए प्रस्तावों को लागू करना। सेंट्रल एस्बेस्टस कं. लिमिटेड [डोड का मामला] [1973] ए. सी. 518, स्थिति इस प्रकार हैः (1) डोड के पक्ष में सदन के वास्तविक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, हम किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो इसे गलत साबित करे। इसलिए हम दो के अल्पमत के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते-भगवान।

ग्लेसडेल के साइमन और लॉर्ड सैल्मन कानून पर साइमन और लॉर्ड सैल्मन। यह गलत होना चाहिए क्योंकि यह उन्हें गलत परिणाम की ओर ले गया। (2) हमें इन तीनों के तर्क को स्वीकार करना चाहिए

बहुमत अगर हम इसे खोज सकते हैं। लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा है। तीनों अलग हो गए। लॉर्ड रीड और बोर्थ-वाई-गेस्ट के लॉर्ड मॉरिस ने कानून के बारे में एक ही दृष्टिकोण अपनाया। लॉर्ड पियर्सन ने दूसरा लिया। हम यह नहीं कह सकते कि लॉर्ड रीड और बोर्थ-वाई-गेस्ट के लार्ड मॉरिस सही थेः क्योंकि हम जानते हैं कि कानून पर उनका तर्क अन्य तीन के तर्क के विपरीत था। हम यह नहीं कह सकते कि लॉर्ड पियर्सन सही थेः क्योंकि हम जानते हैं कि कानून पर उन्होंने जो तर्क स्वीकार किया, उससे अन्य दो (लॉर्ड साइमन ऑफ

46. यदि बाल्को के अनुच्छेद 75,76,96,110,116,123 और 194

(उपर्युक्त) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि धारा 2 (1) (ई) का अर्थ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए, जो पक्ष की स्वायत्तता को मान्यता देता है-मध्यस्थता। अधिनियम, 1996 ने UNCITRAL मॉडल कानून का पालन करते हुए धारा 2 (2) में क्षेत्रीयता सिद्धांत को स्वीकार किया है। संकीर्ण निर्माण

धारा 2 (1) (ई) को बाल्को (ऊपर) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। ऐसा होने पर, यह देखा जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) पर धारा 20 का क्या प्रभाव पड़ेगा।

47. यह इंडस मोबाइल में इस अदालत के फैसले तक नहीं था

डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) कि धारा 20 के प्रावधानों का उचित विश्लेषण भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट के आलोक में किया गया था, जिसका शीर्षक था, 'मध्यस्थता और मध्यस्थता में संशोधन'।

सुलह अधिनियम, 1996 (अगस्त, 2014) (इसके बाद "विधि आयोग की रिपोर्ट, 2014" के रूप में संदर्भित), जिसके तहत धारा 20 (1) और (2) मध्यस्थता के "स्थान" को संदर्भित करेगी, और धारा 20 (3) केवल मध्यस्थता के "स्थान" को संदर्भित करेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब पक्षकार या तो समझौते द्वारा या कोई समझौता होने की चूक में, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 31 (4) के तहत मध्यस्थता के स्थान के रूप में किसी विशेष स्थान का निर्धारण करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन पक्षों ने स्थान चुना है, या मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने स्थान निर्धारित किया है, उन्होंने भी अंतरिम आदेशों और निर्णय को चुनौती देने के उद्देश्य से स्थान पर न्यायालयों का चयन किया है।

48. इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में यह अदालत

(उपर्युक्त), मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) और 20 का उल्लेख करने के बाद और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की "सीट" के बीच अंतर करने वाले विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद। विधि आयोग की रिपोर्ट, 2014 को संदर्भित माध्यस्थम कार्यवाही और ऐसी कार्यवाही का "स्थान" और उसमें की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

" 17. अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों में, विधि आयोग

निम्नलिखित की सिफारिश की गई:

" धारा 20 का संशोधन

ग्लेसडेल और लॉर्ड सैल्मन) एक गलत निष्कर्ष पर। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि बहुमत में तीन में से कोई भी सही था। (3) परिणाम यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुमत के बीच कोई स्पष्ट अनुपात नहीं है।

इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हम उस तर्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमें सही लगता है। बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

धारा 20 में, "स्थान" शब्द को हटा दें और "मध्यस्थता" शब्दों के आगे "सीट और स्थान" शब्द जोड़ें।

(i) उपखंड (1) में "सहमत" शब्दों के बाद "स्थान" शब्द हटा दें और "स्थान और स्थान" शब्द जोड़ें।

((ii) उप-धारा (3) में "किसी भी समय मिलें" शब्दों के बाद हटा दें।

"स्थान" शब्द और "स्थान" शब्द जोड़ें।

[नोटः मध्यस्थता के मौजूदा वाक्यांश "स्थान" से हटने का प्रस्ताव अधिनियम के शब्दों को मध्यस्थता के कानूनी घर को दर्शाने के लिए मध्यस्थता की "सीट" की अवधारणा के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है। द.

संशोधन आगे विधायी रूप से मध्यस्थता के "[मात्र] स्थान" से "[कानूनी] सीट" के बीच अंतर करता है।]

धारा 31 का संशोधन

17. धारा 31 में

(i) उप-धारा (4) में, "इसकी तिथि" और "स्थान शब्द को हटा दें" शब्दों के बाद "सीट" शब्द जोड़ें।

18. हालाँकि, संशोधित अधिनियम में उपरोक्त संशोधन शामिल नहीं हैं, संभवतः इसलिए कि बी. ए. एल. सी. ओ. के निर्णय में अधिनियम की धारा 2 (2) के उद्देश्य के लिए "स्थान" को "न्यायिक स्थान" के रूप में संदर्भित किया गया है। इसने आगे यह स्पष्ट किया कि

कि धारा 20 (1) और 20 (2) जहाँ "स्थान" शब्द का उपयोग किया जाता है, वह "न्यायिक स्थान" को संदर्भित करता है, जबकि धारा 20 (3) में, "स्थान" शब्द "स्थान" के बराबर है। यह स्थापित कानून होने के कारण, यह

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अधिनियम के निर्माण के माध्यम से पहले ही जो किया है, उसे स्पष्ट रूप से शामिल करना अनावश्यक पाया गया। 19. उपरोक्त सभी प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि जिस क्षण सीट नामित की जाती है, वह एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के समान है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता का केंद्र मुंबई है और खंड 19 आगे यह स्पष्ट करता है

वह अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से मुंबई की अदालतों में निहित है। मध्यस्थता कानून के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत जो अदालतों में दायर मुकदमों पर लागू होती है, "सीट" का संदर्भ एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा एक पक्ष द्वारा एक तटस्थ स्थान का चयन किया जा सकता है।

मध्यस्थता खंड। शास्त्रीय अर्थों में तटस्थ स्थल का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है-यानी कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा नहीं [2019] 17 एस. सी. आर.

तटस्थ स्थल पर उत्पन्न हो सकता है और न ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 21 के किसी भी प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा। हालाँकि, मध्यस्थता कानून में, जैसा कि ऊपर माना गया है, जिस क्षण "सीट" निर्धारित की जाती है, यह तथ्य कि सीट मुंबई में है, मुंबई की अदालतों को मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ निहित करेगा।

पक्षों के बीच समझौता।

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक से अधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, पक्षकारों के लिए अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करना खुला है। के लिए

मामले के कानून का एक विस्तृत विश्लेषण, स्वास्तिक गैस प्राइवेट लिमिटेड बनाम देखें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2013) 9 एससीसी 32. बी. ई. सिमोइस वॉन स्टारबर्ग निडेन्थल और एन. आर. में हाल के एक फैसले में इसका पालन किया गया था। वी. छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेडः (2015) 12 एससीसी 225। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अकेले मुंबई की अदालतों के पास देश के अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि मध्यस्थता का न्यायिक केंद्र मुंबई में है। यह मामला होने के कारण, विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। विवादित फैसले द्वारा पुष्टि की गई निषेधाज्ञा इस फैसले की घोषणा की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी, ताकि प्रतिवादी मुंबई अदालत में धारा 9 के तहत आवश्यक कदम उठा सकें। याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

तदनुसार "।

इस फैसले का हाल ही में ब्राह्मणी नदी में पालन किया गया है

भारत में आयोजित मध्यस्थता, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रयोजनों के लिए अकेले उच्च न्यायालय "न्यायालय" होना चाहिए, भले ही ऐसा उच्च न्यायालय सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करे। द. विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश, जिसका पालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया, निम्नानुसार हैः

" 26. यह अनुशंसा की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, जहां लेन-देन में एक महत्वपूर्ण विदेशी तत्व है और कम से कम एक पक्ष विदेशी है, प्रासंगिक "न्यायालय" जो मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर विचार करने के लिए सक्षम है, उच्च न्यायालय होना चाहिए, यहां तक कि बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

जहाँ ऐसा उच्च न्यायालय साधारण दीवानी का प्रयोग नहीं करता है।

अधिकार क्षेत्र। यह उम्मीद की जाती है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय

विदेशी पक्षों को शामिल करते हुए वाणिज्यिक मध्यस्थता की सुनवाई की जाएगी।

शीघ्रता से और उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक उन्मुख न्यायाधीशों द्वारा

अदालती स्तर "। धारा 2 का संशोधन

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 में

इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित),

XXX

XXX

XXX

(ii) उप-धारा (1), खंड (ई) में, "न्यायालय का अर्थ है" शब्दों के बाद

1 उप-धारा (i) "मूल अधिकारिता के प्रमुख सिविल न्यायालय" के समक्ष "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी राशन के मामले में" शब्दों से शुरू होती है।

उप-धारा (1) में, खंड (ई) उप-खंड (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करता हैः

" ((ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, प्रमुख सिविल न्यायालय पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय

किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र, और इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है। अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

विषय बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र -

मध्यस्थता यदि वही वाद का विषय था,

लेकिन इसमें ऐसे उच्च न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय शामिल नहीं है।

न्यायालय, या संबंध में अंतरिम उपायों के अनुदान से जुड़े मामलों में

भारत के कानून, और इसके अभ्यास में उच्च न्यायालय शामिल है सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र "।

[नोटः यह अधिकार क्षेत्र के टकराव की समस्या को हल करने के लिए है।

जो उन मामलों में उत्पन्न होगा जहां अंतरिम उपायों की मांग की जाती है भारत के बाहर स्थित मध्यस्थता के मामलों में भारत। यह भी

यह सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाता है, भले ही ऐसा उच्च न्यायालय करता हो

सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है।] "

50. की परिभाषा में किया गया उपरोक्त संशोधन

rt "भी सही दिशा दिखाने वाला एक कदम है, अर्थात्, जिसमें

भारत में आयोजित राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, अकेले उच्च न्यायालय

ऐसी कार्यवाहियों पर अधिकारिता का प्रयोग करें, भले ही कोई भाग [2019] 17 एस. सी. आर.

कार्रवाई का कारण ऐसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हो सकता है, ऐसा उच्च न्यायालय जिसकी सामान्य मूल अधिकारिता नहीं है। ऐसे मामलों में, उस "स्थान" को देखा जाता है जहां अकेले पुरस्कार दिया जाता है।

और उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपील सुनने के लिए अपनी अधिकारिता के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है, जो केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर है जो बदले में उस "स्थान" से संबंधित है जहां पुरस्कार दिया जाता है। कानून में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के आलोक में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (ई) (आई) का भी इस निर्णय द्वारा इंगित तरीके से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

51. किसी दिए गए उदाहरण के तथ्यों के आलोक में, विपरीत निष्कर्ष के परिणाम को निम्नानुसार लें। नई दिल्ली विशेष रूप से पक्षकारों के बीच मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता का स्थान नामित किया गया है। हालाँकि, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कई स्थानों पर उत्पन्न होता है, जिसमें उत्तराखंड के एक दूरदराज के हिस्से में अनुबंध आंशिक रूप से किया जाना है। यदि समवर्ती क्षेत्राधिकार दिन का क्रम होना था, सीट स्थित होने और पार्टियों द्वारा विशेष रूप से चुने जाने के बावजूद, पार्टी की स्वायत्तता को नुकसान होगा, जिसे बाल्को (उपरोक्त) विशेष रूप से नहीं कह सकता है। इस प्रकार, यदि उत्तराखंड पहाड़ियों के एक सुदूर कोने में एक जिला न्यायालय में एक आवेदन किया जाता है, जो तब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय बन जाता है, जहां धारा 34 भी है।

तब आवेदन करने होते हैं, परिणाम पक्षों के बताए गए इरादे के विपरीत होगा-जैसे कि पार्टियों के पास है

इस बात पर विचार किया गया कि एक तटस्थ स्थान को सीट के रूप में चुना जाए ताकि केवल उस स्थान के न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र हो, फिर भी, पाँच में से कोई एक

देश के दूरदराज के कोनों में स्थित न्यायालयों सहित अन्य न्यायालय जिनमें कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है, उन्हें भी अधिकार क्षेत्र से लैस किया जाएगा। जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि, इसलिए, पैराग्राफ 96 में बाल्को (उपरोक्त) के फैसले के परस्पर विरोधी हिस्से को एक पल के लिए अलग रखा जाता है, तो यह तथ्य कि पक्षों ने सीट के लिए एक स्थान चुना है, अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों के निर्णय को अपने साथ ले जाएगा कि सीट पर अदालतों को पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया पर विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र होगा।

52. वास्तव में, इस न्यायालय की बाद की खंड पीठों ने कानून को यह समझ लिया है कि एक बार मध्यस्थता का स्थान चुने जाने के बाद, यह एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के बराबर है, जहां तक उस स्थान पर न्यायालयों का संबंध है। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और ओआरएस में। वी. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और एन. आर. (2014) 5 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने रोजर शाशोआ (ऊपर) में इस उक्ति को निम्नानुसार मंजूरी दीः

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 126. मामले में तथ्य की स्थिति की जांच करते हुए, अदालत ने शाशोआ मामले में [शाशोआ बनाम। शर्मा, (2009) 2 लॉयड के कानून प्रतिनिधि 376] ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

मध्यस्थता के स्थान के बारे में समझौता उस देश के कानून में क्यूरियल कानून के रूप में लाया गया था और एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के अनुरूप था। न केवल सीट के क्यूरियल कानून के लिए, बल्कि अदालतों के लिए भी सहमति थी मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी अधिकारिता रखने वाली सीट, ताकि, सीट के लिए सहमत होकर, पक्षकार इस बात पर सहमत हों कि किसी अंतरिम या अंतिम निर्णय को कोई भी चुनौती केवल मध्यस्थता के स्थान के रूप में निर्दिष्ट स्थान के न्यायालयों में दी जानी थी।

हालांकि, 'स्थल' 'स्थान' का पर्याय नहीं था, एक मध्यस्थता खंड में जिसमें पेरिस में आई. सी. सी. के नियमों (नियमों का एक अतिराष्ट्रीय निकाय) के अनुसार मध्यस्थता आयोजित करने का प्रावधान किया गया था, एक प्रावधान कि 'मध्यस्थता का स्थान लंदन, यूनाइटेड किंगडम होगा' एक न्यायिक स्थान के पदनाम के बराबर था।

पैरा 54 में इसे आगे इस प्रकार देखा गया हैः

" दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दावेदारों द्वारा कथित प्रस्तुतिकरण से संबंधित मुद्दों की उस न्यायालय द्वारा सुनवाई की संभावना के बारे में थोड़ी बहस हुई, क्योंकि ऐसे मुद्दों को निर्धारित करने के लिए यह सबसे उपयुक्त था।

इंग्लैंड मध्यस्थता का केंद्र है और तब से यह अपने साथ एक अनन्य अधिकारिता खंड के समान कुछ रखता है, सिद्धांत रूप में विदेशी न्यायालय को उन मामलों का निर्णय नहीं करना चाहिए जो इस न्यायालय को एक वाद-विरोधी निषेधाज्ञा के संदर्भ में तय करने के लिए हैं।

53. अदालत ने तब निष्कर्ष निकालाः

" 138. एक बार भारत में मध्यस्थता का स्थान तय हो जाने के बाद, इसका प्रयोग करना अनन्य अधिकार क्षेत्र की प्रकृति में होगा

मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ। "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 45. हमारी राय में, यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि मध्यस्थता का स्थान एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के अनुरूप नहीं है। हमारे इस दृष्टिकोण को कई लोगों का समर्थन मिलेगा।

इस न्यायालय के निर्णय। एक बार जब पक्ष सचेत रूप से सहमत हो गए थे

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के प्रावधान भी मध्यस्थता समझौते पर लागू होंगे। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में यह अदालत लिमिटेड [(2011) 6 एस. सी. सी. 161: (2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 257] ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः (एस. सी. सी पी. 178, पैरा 33)

" 33. वर्तमान मामले में भी पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि अनुच्छेद 33.1 के बावजूद, अनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा। यह

अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि पक्षकारों ने बहिष्कृत करने के लिए सहमति व्यक्त की थी

अधिनियम के भाग I के प्रावधान। उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ता के पास था

इससे पहले दायर की गई इसी तरह की याचिकाएं उस उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं

उत्तरदाता "। XXX

XXX

XXX

55. मध्यस्थता के स्थान के चयन के प्रभाव पर अपील न्यायालय द्वारा सी वी में विचार किया गया था। डी [2008 बस एलआर 843: (2008) 1 लॉयड का नियम 239: 2007 EWCA Civ 1282]। इस फैसले को इस अदालत ने मंजूरी दी है। हो चुका है

विशेष रूप से

बाल्को में [बाल्को बनाम। कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2012) 9 एस. सी. सी. 552 (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] और एनरकॉन [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम में दोहराया गया। एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5

एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 59: (2014) 1 एएलआर 257]। सी वी में। डी [2008 बस एलआर 843: (2008) 1 लॉयड का नियम 239: 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282], अपील न्यायालय ने कहा हैः (बस एलआर पी। 851, पैरा 16)

" प्राथमिक निष्कर्ष BGS SGS SOMA JV v.

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

16. मैं श्री हिर्स्ट के तर्कों पर उचित समय पर विचार करूँगा, लेकिन

मेरा मानना है कि वे इस मुद्दे पर केंद्रीय बिंदु से निपटने में विफल रहते हैं, जो यह है कि लंदन को मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुनकर या नहीं, पक्षों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि पुरस्कार पर कार्यवाही केवल अंग्रेजी कानून द्वारा अनुमत होनी चाहिए। मेरे विचार में यह माना जाना चाहिए कि वे न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों के लिए सहमत थे। पूरा उद्देश्य

बरमूडा प्रपत्र द्वारा प्राप्त संतुलन (अंग्रेजी मध्यस्थता लेकिन नीति के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर न्यूयॉर्क कानून को लागू करना) यह है कि पुरस्कार के संबंध में न्यायिक उपचार वे होने चाहिए जो

अंग्रेजी कानून द्वारा अनुमति दी गई है और केवल वही जिनकी अनुमति है। श्री हिर्स्ट यह नहीं कह सके (और यह नहीं कहा) कि 1996 के अधिनियम की धारा 67 और 68 के तहत प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर अधिकार क्षेत्र की कमी के लिए अंग्रेजी न्यायिक उपायों की अनुमति नहीं थी; उन्हें यह कहते हुए सीमित कर दिया गया कि न्यूयॉर्क न्यायिक उपायों की भी अनुमति थी। हालाँकि, यह मुकदमेबाजी और (इससे भी बदतर) भ्रम का एक तरीका होगा जिसका पक्षकारों द्वारा इरादा नहीं किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकार क्षेत्र की कमी और गंभीर अनियमितताओं के लिए न्यूयॉर्क के कानून के अपने न्यायिक उपाय हैं, लेकिन यह शायद ही माना जा सकता है कि एक पक्ष जो किसी पुरस्कार के एक हिस्से से व्यथित हो। एक अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ना और एक पुरस्कार के दूसरे भाग से पीड़ित एक पक्ष दूसरे अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसी तरह, किसी पुरस्कार के बारे में एक भी शिकायत के मामले में, यह नहीं माना जा सकता था कि पीड़ित पक्ष एक में शिकायत कर सकता है

अधिकार क्षेत्र और संतुष्ट पक्ष को दूसरे अधिकार क्षेत्र से पुरस्कार के साथ अपनी संतुष्टि घोषित करने के लिए कहने का अधिकार होगा। पहला निर्णय लेने के लिए पार्टियों के जल्दबाजी करने या परस्पर विरोधी निर्णय लेने का गंभीर जोखिम होगा जो पार्टियों के पास नहीं हो सकता है।

विचार किया "।

56. सी वी में उपरोक्त अवलोकन। डी [2008 बस एलआर 843: (2008) 1 लॉयड का नियम 239: 2007 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1282] के बाद सुलामेरिका सिया नैसिओनल डी सेगुरोस एस. ए. बनाम में उच्च न्यायालय, क्वींस बेंच डिवीजन, वाणिज्यिक न्यायालय (इंग्लैंड) द्वारा अनुसरण किया गया। एनेसा एंगेलहारिया एसए

एनेसा [(2013) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 102: 2012 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 638: 2012 डब्ल्यूएल 14764]। एक ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए, उच्च न्यायालय ने देखा कि उस मामले में मुद्दा इस बात पर निर्भर करता है कि

बीमा पॉलिसी की शर्त 12 में प्रावधान दिया जाए कि "मध्यस्थता का स्थान लंदन, इंग्लैंड होगा"।

यह

[2019] 17 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पाया गया कि यह अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया पर अंग्रेजी न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को अपने साथ ले जाता है। यह था। यह देखा गया किः

" यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की स्पष्ट शर्तों का अनुसरण करता है और विशेष रूप से, धारा 2 के प्रावधान जो प्रदान करते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू होता है जहां मध्यस्थता का स्थान इंग्लैंड और वेल्स या उत्तरी आयरलैंड में है। यह तुरंत मध्यस्थता समझौते और मध्यस्थता के कानून के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करता है।

इंग्लैंड। यही कारण है कि हाल के अधिकारियों ने मध्यस्थता के उचित कानून को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मध्यस्थता के स्थान पर जोर दिया है।

मध्यस्थता समझौता।

9999

55. इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में।

(उपर्युक्त), मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने पैराग्राफ 19 (जिसे पहले ही ऊपर निर्धारित किया जा चुका है) में यह स्पष्ट कर दिया कि जिस क्षण पक्षों के बीच समझौते द्वारा एक सीट नामित की जाती है, वह एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के समान है, जो तब मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए "सीट" पर न्यायालयों को विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ निहित करेगा।

पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न होना।

56. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के बावजूद, कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा असंगत टिप्पणियाँ की गई हैं। एंट्रिक्स में

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, निगम लिमिटेड (ऊपर) ने बाल्को (ऊपर) के पैराग्राफ 96 को निर्धारित करने के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों के तर्क का पालन करते हुए कहा कि बाल्को (ऊपर) में 5 न्यायाधीशों की पीठ का अनुपात निर्णय यह है कि पक्षों के बीच समझौते द्वारा मध्यस्थता के स्थान के पदनाम के बावजूद, न्यायालयों के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहाः

" 52. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 96 में कथन

बाल्को (उपर्युक्त) का मामला वर्तमान मामले में भी लागू होगा, इस न्यायालय को बाल्को (उपर्युक्त) में घोषित कानून के आलोक में अपने कानूनी परिणाम की जांच करनी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त पैराग्राफ (ऊपर निकाले गए) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) मध्यस्थता प्रक्रिया पर दो न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है-

विषय विषय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय और सीट की अदालतें। यह BGS SGS SOMA JV v दोनों से स्पष्ट है।

पैराग्राफ की मूल धारणा के साथ-साथ न्यायालय द्वारा दिया गया उदाहरण। अदालत ने नोट किया कि "विधायिका ने जानबूझकर दो अदालतों यानी अदालत को अधिकार क्षेत्र दिया है।

जिसका अधिकार क्षेत्र होगा जहाँ कार्रवाई का कारण स्थित है और वे न्यायालय जहाँ मध्यस्थता होती है। यह अदालत द्वारा दिए गए उदाहरण से और मजबूत होता है।

बाद में उसी अनुच्छेद में। उदाहरण में जहां पक्ष मुंबई और कोलकाता से हैं और इसके तहत दायित्व

अनुबंध या तो मुंबई या कोलकाता में किया जाना है, और पक्षों ने दिल्ली को मध्यस्थता के स्थान के रूप में नामित किया है, ऐसी स्थिति में, दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा, यानी जिसके अधिकार क्षेत्र में मुकदमे का विषय (या तो मुंबई या कोलकाता) स्थित है और वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाद समाधान, यानी मध्यस्थता स्थित है (जो दिल्ली है)। इसके अलावा, यह तथ्य कि अदालत ने "विषय" शब्द की व्याख्या की पैराग्राफ में मुकदमे का मामला इस व्याख्या को भी विश्वास दिलाता है कि अदालत ने माना कि धारा 2 (1) (ई) कार्रवाई अदालतों के कारण और अदालत दोनों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

मध्यस्थता का स्थान। यदि न्यायालय की राय थी कि केवल पीठ पर स्थित न्यायालयों के पास धारा 2 (1) (ई) के तहत अधिकार क्षेत्र होगा और कोई अन्य न्यायालय नहीं होगा, तो यह पूरी तरह से अनावश्यक होगा।

न्यायालय के लिए "वाद का विषय" शब्द की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि उस न्यायालय के पास वैसे भी अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। कुल मिलाकर

इसलिए, बाल्को (उपर्युक्त) का अनुच्छेद 96 पीठ पर दोनों न्यायालयों और उन न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करता है जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, यदि विवाद किसी मुकदमे का विषय था। कोंकोला में बंबई उच्च न्यायालय ने यही कहा

कॉपर माइन्स (सुप्रा) ने भी बाल्को (सुप्रा) की व्याख्या इस प्रकार की

धारण करनाः " उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 2 (1) (ई) के प्रावधान विशुद्ध रूप से क्षेत्राधिकार प्रकृति के हैं और इस प्रश्न के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है कि क्या कारण का कोई हिस्सा

कार्रवाई भारत के बाहर हुई है। जिन टिप्पणियों को ऊपर निकाला गया है, वे स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि जिस न्यायालय में मध्यस्थता होती है, उसकी आवश्यकता होगी - मध्यस्थ प्रक्रिया पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संसद ने दिया है

दो न्यायालयों के लिए अधिकारिता-वह न्यायालय जिसके पास अधिकारिता होगी जहाँ कार्रवाई का कारण स्थित है और [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय जहाँ मध्यस्थता होती है। इस बात से पता चलता है कि

उदाहरण जो उपरोक्त उद्धृत उद्धरण में निहित है

निर्णय से "।

57. ऐसा कहने के बाद, डिवीजन बेंच ने इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) को एक सी. टी. ई. डी. अर्थ दिया।

ग्राफ 56 इस प्रकार हैः

" 56. डेटाविंड (ऊपर) में, जैसा कि तथ्यों और न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के दूसरे पैराग्राफ में तैयार किए गए प्रश्न से पता चलता है,

न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ पक्षकारों ने सीट दोनों को नामित किया और एक विशेष मंच निर्दिष्ट किया

चयन खंड। इसलिए, इसके निष्कर्षों की व्याख्या की जानी चाहिए

उस प्रकाश को। वास्तव में, क्या इस न्यायालय को अन्यथा निर्णय लेना था, और

डेटाविंड (उपरोक्त) की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अकेले सीट का पदनाम घरेलू मध्यस्थता में एक विशेष मंच चयन खंड के बराबर होगा, तो यह बाल्को (उपर्युक्त) में पांच न्यायाधीशों के फैसले के विपरीत चलेगा, जो जैसा कि ऊपर देखा गया है।

धारा 2 (1) (ई) के तहत दो न्यायालयों की अधिकारिता-जिनमें से एक पीठ का न्यायालय था, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि

58. इसके बाद अदालत ने कहाः " 58. अदालत की राय है कि इस मामले में, केवल तभी जब पक्षकार

इस सीट को नई दिल्ली के रूप में नामित किया था और एक

न्यायालयों के पक्ष में विशेष मंच चयन खंड

नई दिल्ली, क्या यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय का मध्यस्थता अधिनियम के तहत दायर सभी आवेदनों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

वास्तव में, यह एक मध्यस्थता के लिए पक्षों के लिए खुला है कि वे एक विशेष मंच को विशेष मंच के रूप में नामित करें, जिसके लिए अधिनियम के तहत सभी आवेदन होंगे। यह केवल विशेष मंच के रूप में कई सक्षम मंचों में से एक को चुनने के पक्षों के अधिकार का एक अभ्यास होगा। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है।

स्वास्तिक गैस बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित दल की स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2013) 9 एससीसी 32. इसके विपरीत, केवल एक सीट चुनना, राशि नहीं हो सकती है

अनन्य मंच चयन के ऐसे अधिकार का प्रयोग करना। 59. इस न्यायालय की राय है कि अन्यथा अभिनिर्धारित करने से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 प्रभावी रूप से अप्रभावी और बेकार हो जाएगी।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समय दल एक सीट नामित करेंगे, जिसका प्रभावी अर्थ होगा कि धारा 42 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार, केवल वे कुछ स्थितियाँ जहाँ दल वास्तव में किसी भी सीट को निर्दिष्ट नहीं करते हैं (और इस प्रकार एक मंच पर कोई विशेष क्षमता प्रदान नहीं की जाती है) धारा 42 की कोई भूमिका होगी। वास्तव में, अक्सर, जब पक्ष मध्यस्थता समझौते में किसी स्थान पर सहमत नहीं होते हैं, तो सुविधा के लिए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता के एक विशेष स्थान को नामित करता है, या समझौता न्यायाधिकरण को निर्णय लेने के लिए विवेक प्रदान करता है।

सीट (और केवल "स्थल" नहीं)। उन सभी परिस्थितियों में भी, एक "सीट" पर सहमत होने के लिए न्यायाधिकरण का निर्णय

यह एक अनन्य अधिकारिता खंड के बराबर होगा और धारा 42 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। यह धारा 42 को कमजोर करेगा और तदनुसार, संसदीय इरादे के विपरीत होगा। निस्संदेह, वर्तमान मामले में, पक्षों ने केवल चुना है नई दिल्ली के रूप में सीट और एक विशेष मंच चयन खंड निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली की अदालतों को वर्तमान विवाद में मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदनों पर विचार करने की विशेष क्षमता है। अदालतों की अधिकारिता जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, जो इस मामले में बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट है, को नहीं कहा जा सकता है

इसलिए बहिष्कृत किया गया। तदनुसार, प्रश्न (ii) का भी उत्तर दिया जाता है।

एंट्रिक्स के पक्ष में "।

59. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों का अनुसरण करता है, हमें स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहना गलत है कि न्यायालय द्वारा बाल्को (ऊपर) के पैराग्राफ 96 में दिया गया उदाहरण उक्त पैराग्राफ के समवर्ती क्षेत्राधिकार पहलू को मजबूत करता है। जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है, यह निष्कर्ष कि उक्त पैराग्राफ में दिए गए उदाहरण में दिल्ली के साथ-साथ मुंबई या कोलकाता अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा, पूरी तरह से गलत है, इस वाक्य को देखते हुए, "यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि दायित्वों को पूरा किया जाना चाहिए।

अनुबंध के तहत निष्पादित किया जाना था या तो [2019] 17 एस. सी. आर.

दिल्ली "। इसके बाद आने वाला वाक्य इस वाक्य और निर्णय के अन्य पैराग्राफ के साथ तालमेल से बाहर है। इस प्रकार, बी. ए. एल. सी. ओ. (ऊपर दिया गया) "स्पष्ट रूप से" यह नहीं मानता है कि दो न्यायालयों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है, अर्थात, सीट कोर्ट और वह कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। उच्च न्यायालय के इन फैसलों में जो बात छूट गई है, वह है बाल्को (ऊपर) के बाद के पैराग्राफ, जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से कहें कि "सीट" का चयन उन न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के चयन के बराबर है जहां "सीट" स्थित है। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय भी छूट गए हैं।

60. समान रूप से, इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय का अनुपात पैराग्राफ 19 और 20 में निहित है। इंडस मोबाइल में दो अलग-अलग और विशिष्ट कारण दिए गए हैं।

डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अकेले मुंबई के न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा। पहला कारण, जो दूसरे से स्वतंत्र है, यह है कि चूंकि मध्यस्थता का स्थान मुंबई के रूप में नामित किया गया था, इसलिए यह इस तथ्य को अपने साथ ले जाएगा कि अकेले मुंबई के न्यायालयों के पास मध्यस्थता प्रक्रिया पर अधिकार क्षेत्र होगा।

दूसरा कारण यह दिया गया था कि किसी भी मामले में, हाकम सिंह (ऊपर) सिद्धांत का पालन करते हुए, जहां एक से अधिक न्यायालयों को कहा जा सकता है

इस समझौते ने मुंबई न्यायालयों को विशेष अधिकार क्षेत्र के रूप में नामित किया। इस प्रकार यह कहना पूरी तरह से गलत है कि इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) का अनुपात सीमित है।

केवल पैराग्राफ 20 में निहित निर्णय, और वह पैराग्राफ 19, यदि स्वयं पढ़ा जाता है, तो बाल्को (ऊपर) में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत चलेगा। 61. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) में यह निष्कर्ष भी उतना ही गलत है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 को अप्रभावी और बेकार कर दिया जाएगा। धारा 42 का उद्देश्य संघर्षों से बचना है

एक न्यायालय में मध्यस्थता के संबंध में सभी मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र स्थापित करके न्यायालयों की अधिकारिता

विशेष रूप से। यही कारण है कि धारा एक गैर-अड़चन खंड के साथ शुरू होती है, और फिर यह बताती है कि ". जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में इस भाग के तहत कोई आवेदन किया गया है। न्यायालय। "यह स्पष्ट है कि इस भाग के तहत किसी न्यायालय में किया गया आवेदन एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसके पास इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र हो। इस न्यायालय की बाद की धारणाएँ, कि जहां एक समझौते में एक सीट नामित की गई है, केवल सीट के न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र है, BGS SGS SOMA JV v.

यह अपेक्षा की जाती है कि भाग I के तहत सभी आवेदन केवल उस न्यायालय में किए जाएं जहां पीठ स्थित है, और केवल उस न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इसलिए पढ़ें, धारा 42 अप्रभावी या बेकार नहीं है। साथ ही, जहां यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर पाया जाता है

कि या तो कोई "सीट" समझौते द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, या तथाकथित "सीट" केवल एक सुविधाजनक "स्थान" है, तो ऐसे कई न्यायालय हो सकते हैं जहां कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है जिसकी अधिकारिता हो सकती है। पुनः, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अधीन एक ऐसे न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा ऐसे मामले में उत्पन्न होता है जहां पक्ष मध्यस्थता के "स्थान" पर सहमत नहीं होते हैं, और ऐसे "स्थान" के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 (2) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया गया हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में, एक ऐसे न्यायालय में सबसे पहला आवेदन किया गया है जिसमें कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न होता है, तब धारा 42 के तहत अनन्य न्यायालय होगा, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण होगा। इन सभी कारणों से, इस संबंध में बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा कहा गया कानून गलत है और खारिज कर दिया गया है।

"सीट" के निर्धारण के लिए परीक्षण

62. अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों ने मध्यस्थता कार्यवाही के "न्यायिक स्थान" की अवधारणा की जांच की है, और यह निर्धारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षण निर्धारित किए हैं कि क्या मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" को वास्तव में पक्षों के बीच समझौते में इंगित किया गया है। रोजर शाशोआ (ऊपर) में कुक, जे. के फैसले में कहा गया हैः

" 34. " लंदन मध्यस्थता एक प्रसिद्ध घटना है जिसे अक्सर विदेशी नागरिकों द्वारा एक अलग कानून के साथ चुना जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क का कानून, जो पक्षों के मूल अधिकारों को नियंत्रित करता है। ऐसा यहां की अदालतों के विधायी ढांचे और पर्यवेक्षी शक्तियों के कारण है जिसे कई पक्ष अपनाने के इच्छुक हैं। जब इसलिए मध्यस्थता स्थल का लंदन के रूप में एक स्पष्ट पदनाम है और किसी का कोई पदनाम नहीं है

स्थान के रूप में वैकल्पिक स्थान, मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक अधिराष्ट्रीय निकाय के साथ संयुक्त और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं, मेरे विचार से अटूट निष्कर्ष यह है कि लंदन न्यायिक स्थान है और अंग्रेजी कानून क्यूरियल कानून है। मेरे निर्णय में यह स्पष्ट है कि या तो लंदन को पक्षों [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा नामित किया गया है।

मध्यस्थता के केंद्र के रूप में मध्यस्थता समझौते के लिए, या, पक्षों के समझौते और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 3 के अंतिम प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाने वाला स्थान है।

63. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जहाँ भी एक एक्सप्रेस है

एक "स्थल" का पदनाम, और "सीट" के रूप में किसी भी वैकल्पिक स्थान का कोई पदनाम नहीं, मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक अतिराष्ट्रीय निकाय के साथ संयुक्त, और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि कथित स्थान वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थान है।

64. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. वी. एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड. [2012] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 689, पक्षों के बीच मध्यस्थता खंड निम्नानुसार हैः

" 18.3 इस तरह के मध्यस्थता में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में संचालित की जाएंगी। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लंदन होगा। मध्यस्थ पक्ष को लागत और उचित खर्च (परामर्श के उचित शुल्क सहित) प्रदान कर सकते हैं (लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं होंगे) जो योग्यता के आधार पर काफी हद तक प्रबल होते हैं। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

65. न्यायालय ने रोजर शाशोआ (ऊपर) का उल्लेख करते हुए मध्यस्थता की "सीट" पर अपनी चर्चा शुरू की, और फिर 'द

कानूनों का टकराव ', डाइसी, मॉरिस और कॉलिन्स, 14 वां संस्करण। इस प्रकार हैः

" इसके अलावा, जैसा कि कुक जे. ने उल्लेख किया है, यह निष्कर्ष द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, डाइसी, मॉरिस एंड कॉलिन्स, 14 वें संस्करण में व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप है, जहां लेखकों का कहना है कि "अधिकांश मामलों में मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुने गए देश द्वारा पर्याप्त रूप से इंगित किया गया है। स्थान के इस तरह के चयन को सीट के विकल्प के रूप में प्रभावी नहीं होने के लिए, इस बात का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि पक्ष एक और सीट चुनने के लिए सहमत हुए हैं।

मध्यस्थता और यह कि ऐसा विकल्प उस देश के न्यायालयों को पर्यवेक्षण और समर्थन करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए प्रभावी होगा

मध्यस्थता "।

खंड 18.3 में अंतिम वाक्य के अलावा (अर्थात "भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे"),

मुझे ऐसा लगता है कि यह निष्कर्ष कि लंदन इसके तहत किसी भी मध्यस्थता का "केंद्र" है, किसी भी संभावित संदेह से परे है। इस प्रकार मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इस अंतिम वाक्य को माना जाना चाहिए

" महत्वपूर्ण विपरीत संकेत "(कुक जे. की भाषा का उपयोग करते हुए)

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ताकि मध्यस्थता का "स्थान" भारत में रखा जा सके। एक समान मुद्दा

जे. सेविल द्वारा भारत के संघ बनाम मैकडॉनेल में विचार किया गया था

[1993] 2 लॉयड का प्रतिनिधि 48, जो निश्चित रूप से अंग्रेजी से पहले का है।

1996 एक्ट करें। उस मामले में मध्यस्थता समझौते के रूप में प्रदान किया गया

निम्नलिखित हैः " संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में इस समझौते के साथ. इसे एक मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

न्यायाधिकरण। मध्यस्थता निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी -

उसका कोई अधिनियम या संशोधन। मध्यस्थता होगी अंग्रेजी भाषा में आयोजित। मध्यस्थता का स्थान

कार्यवाही लंदन, यूनाइटेड किंगडम में होगी। सेविले जे.

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि दोनों पक्षों की दलीलें "बारीक" थीं।

" पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता का स्थान। बल्कि, 1940 के अधिनियम का उल्लेख करने वाले वाक्यांश का मिलान किया जाना था

के बाहरी पर्यवेक्षण के विपरीत मध्यस्थता का न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता "।

(जोर दिया गया)

66. अदालत ने तब कहा कि हालांकि "स्थल" शब्द नहीं है

"सीट" का पर्याय, उस मामले के तथ्यों पर, लंदन-हालांकि "स्थल" के रूप में वर्णित-वास्तव में मध्यस्थता का "स्थान" था। यही कारण था कि लंदन एक तटस्थ स्थान था जिसमें न तो

पार्टी ने लाभ के लिए काम किया, और जिसमें कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार इसे एक तटस्थ स्थान के रूप में समझा गया जिसमें कार्यवाही को "लंगर" डाला जा सकता था। दूसरा, न्यायालय ने खंड 18.3 में "मध्यस्थता कार्यवाही" अभिव्यक्ति पर जोर दिया, जिसे न्यायालय ने एक ऐसी अभिव्यक्ति माना जिसमें न केवल एक या एक से अधिक व्यक्तिगत सुनवाई शामिल थी, बल्कि समग्र रूप से मध्यस्थता कार्यवाही, जो एक पुरस्कार बनाने में समाप्त होती थी। न्यायालय ने कहाः

" दूसरा, खंड 18.3 की भाषा "मध्यस्थता" को संदर्भित करती है। कार्यवाही "। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें केवल एक नहीं है

या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई लेकिन मध्यस्थता

एक पुरस्कार के निर्माण सहित समग्र रूप से कार्यवाही। में।

दूसरे शब्दों में पक्ष पूरे मध्यस्थता की एंकरिंग कर रहे थे

लंदन में प्रक्रिया एक के निर्माण तक और शामिल है

पुरस्कार। पुरस्कार देने के लिए नामित स्थान [2019] 17 एस. सी. आर. है।

सीट का पदनाम। इसके अलावा खंड 18.3 की भाषा क्या करती है

खंड 18.3 इसके बजाय यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थता का स्थान कार्यवाही "लंदन" होगी। यह फिर से पार्टियों का सुझाव देता है

लंदन में और वहां मध्यस्थता कार्यवाही को संचालित करने का इरादा

केवल भौतिक रूप से मध्यस्थता सुनवाई का पता लगाने के बजाय

लंदन। वास्तव में ऐसे मामले में जहां सबूत लेने की आवश्यकता हो सकती है या शायद अधिक संभावना है कि भारत में इसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा

प्रावधान को सभी को अनिवार्य करने के रूप में समझने के लिए वाणिज्यिक समझ एंकरिंग के बजाय भौतिक स्थान पर होने वाली सुनवाई

एक निर्दिष्ट स्थान पर आने और जाने की मध्यस्थ प्रक्रिया। सभी समझौते

व्यावसायिक सामान्य ज्ञान के साथ। मेरे विचार में, कोई व्यवसाय नहीं है मध्यस्थता समझौते का अर्थ लगाने के लिए सामान्य ज्ञान (के रूप में

ई. आई. एल. द्वारा) के लिए इस तरह से प्रतिवाद किया गया जो बस वंचित कर देगा

एक महत्वपूर्ण विवेकाधिकार के मध्यस्थ जिन्हें उन्हें सुनना है

एक सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति में साक्ष्य।

तीसरा, श्री जोसेफ क्यू. सी. ने प्रस्तुत किया कि खंड का अंतिम वाक्य

18.3 सीट के रूप में लंदन की पसंद के साथ मिलान किया जा सकता है।

सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसे केवल भाग के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है

इस तरह की किसी भी अतिप्रवाह में बहुत अधिक, यदि कोई हो, वजन होता है। वैकल्पिक रूप से, श्री जोसेफ क्यू. सी. ने प्रस्तुत किया कि इसे केवल संदर्भ के रूप में पढ़ा जा सकता है

भारतीय 1996 अधिनियम के वे प्रावधान जो नहीं थे

अंग्रेजी 1996 अधिनियम के साथ असंगत।

(जोर दिया गया)

67. न्यायालय ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय का संदर्भ

राशन अधिनियम, 1996 लंदन को कई कारणों से मध्यस्थता प्रक्रिया का "स्थल" और भारत का स्थान "नहीं बना देगा, जिसमें एक ही पक्ष के बीच पहले के समझौतों का तथ्य, मध्यस्थता का स्थान भी शामिल है।

एडिंग्स भारत था, जिसे इस समझौते द्वारा लंदन में बदल दिया गया था।

इस परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण एक पुरस्कार को लागू करने योग्य बनाने के लिए है

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और बहाली पर समझौते (न्यूयॉर्क, 1958) के प्रावधानों के तहत।

68. शगांग में दक्षिण-एशिया (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड।

ईवू लॉजिस्टिक्स [2015] ईडब्ल्यूएचसी 194, क्वींस बेंच डिवीजन बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वाणिज्यिक न्यायालय) एक 'फिक्स्चर नोट' से निपटते हैं जिसमें

ओन्डेंट ने शांगांग, चीन के लिए एक जहाज किराए पर लेने पर सहमति व्यक्त की। दि फिक्स्चर

प्रदान किया गयाः

" खंड 23. आर्बिट्रेशन को हॉन्गकॉन्ग में रखा जाएगा।

अंग्रेजी कानून लागू किया जाएगा "।

69. रोजर शाशोआ (ऊपर) और एनरकॉन का उल्लेख करने के बाद

-एच (ऊपर), न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" मेरे निर्णय में शाशोआ बनाम शर्मा और अन्य मामलों में अपनाया गया दृष्टिकोण इस मामले में भी उपयुक्त है। एक समझौता कि मध्यस्थता हांगकांग में आयोजित की जानी है, आम तौर पर इसके साथ मध्यस्थता के स्थान के रूप में हांगकांग का एक निहित विकल्प और क्यूरियल कानून के रूप में हांगकांग कानून के अनुप्रयोग को ले जाएगा। स्पष्ट शब्द या 'महत्वपूर्ण विपरीत संकेत' यह स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं कि किसी अन्य सीट या क्यूरियल कानून पर सहमति हो गई है।

70. प्रोसेस एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट्स लिमिटेड v. नाइजीरिया

] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2241 न्यायालय गैस आपूर्ति और प्रसंस्करण समझौते से उत्पन्न विवाद से संबंधित था। मध्यस्थता खंड

मामले में निम्नानुसार पढ़िएः

“ दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यदि कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है

व्याख्या या निष्पादन के संबंध में उनके बीच यह समझौता और यदि वे इस तरह के अंतर या विवाद को निपटाने में विफल रहते हैं

सौहार्दपूर्ण ढंग से, तब एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक नोटिस दे सकता है नाइजीरियाई मध्यस्थता के नियमों के तहत मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम (कैप ए 18 एल. एफ. एन. 2004), जिसे छोड़कर

अन्यथा यहाँ प्रदान किया गया है, इस समझौते के तहत ऐसे दलों के बीच किसी भी विवाद पर लागू होगा। आरंभकर्ता पक्ष द्वारा मध्यस्थता की सूचना जारी किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और इस प्रकार दलों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अंतिम मध्यस्थ की नियुक्ति की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर, न्यायाधिकरण को पूरा करने के लिए एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। .....

मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

पुरस्कार दो महीने के भीतर दिया जाएगा। तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो पार्टियों द्वारा सहमत हो। मध्यस्थता की लागत

पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। तथापि, प्रत्येक पक्ष को [2019] 17 एस. सी. आर. वहन करना होगा।

अपने वकीलों की फीस। मध्यस्थता का स्थान होगा

लंदन, इंग्लैंड या अन्यथा पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार।

मध्यस्थता की कार्यवाही और अभिलेख अंग्रेजी भाषा में होंगे।

71. अदालत ने तब कहा कि गैस आपूर्ति समझौते में प्रावधान किया गया है

विंग् कारणों से, अन्य बातों के साथ-साथ, लंदन में मध्यस्थता का स्थानः

" यह महत्वपूर्ण है कि खंड 20 के स्थान को संदर्भित करता है

लंदन के रूप में मध्यस्थता। मध्यस्थता अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी। खंड 20 लंदन को कुछ या सभी सुनवाई के लिए स्थान के रूप में संदर्भित नहीं करता है। यह एस में उपयोग की जाने वाली भाषा का उपयोग नहीं करता है। 16 (2) ए. सी. ए. जहाँ न्यायाधिकरण "मिल सकता है" या "गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुन सकता है"। आई.

विचार करें कि प्रावधान एक एंकरिंग का प्रतिनिधित्व करता है

सुनवाई प्रदान करने के बजाय लंदन को संपूर्ण मध्यस्थता

वहाँ होना चाहिए।

खंड 20 में प्रावधान है कि मध्यस्थता का स्थान "लंदन" होगा या अन्यथा जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई है "। यदि स्थल का संदर्भ केवल इस बात के लिए था कि सुनवाई कहाँ होनी चाहिए, तो यह एक असुविधाजनक प्रावधान होगा और ऐसा प्रावधान जिसका पक्षकारों का इरादा होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि सुनवाई लंदन में होनी थी, चाहे वह किसी विशेष सुनवाई के लिए कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। हालाँकि, यह प्रश्न कि सुनवाई आसानी से कहाँ आयोजित की जानी चाहिए, जिसे मध्यस्थों के पास आमतौर पर तय करने की शक्ति होती है, जैसा कि वास्तव में एस में परिकल्पना की गई है। 16 (2) एसीए। यह एक अधिक सुविधाजनक व्यवस्था होने की संभावना है। स्पष्ट रूप से यदि पक्षकार

इस बात पर सहमति थी कि एक विशेष सुनवाई कहाँ होनी थी

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। लेकिन अगर किसी भी कारण से वे सहमत नहीं थे, और पक्षकारों के लिए मध्यस्थता करना अज्ञात नहीं है बहुत सारे मामलों के बारे में लॉगरहेड्स हो जाते हैं, तो यह है

मध्यस्थों के लिए निर्णय लेने में सक्षम होना सुविधाजनक है। अगर ऐसा है।

व्यवस्था को विस्थापित किया जाना था, मेरे विचार में, इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना होगा। तदनुसार, "स्थल" के लंदन होने के रूप में या अन्यथा पक्षों के बीच सहमति के रूप में संदर्भ को इस प्रावधान के रूप में बेहतर पढ़ा जाता है कि मध्यस्थता का स्थान इंग्लैंड होना चाहिए, जब तक कि पक्ष इसे बदलने के लिए सहमत न हों।

यह अभी भी बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी होगा। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थों को यह तय करने की अनुमति दें कि विशेष सुनवाई कहाँ होनी चाहिए

इंग्लैंड के लिए एक लंगर प्रदान करते हुए, होता है

पर्यवेक्षी उद्देश्य, जब तक कि परिवर्तित न हो। "

(जोर दिया गया)

72. हमारे न्यायालयों के निर्णयों पर आते हुए, डोज़को में यह न्यायालय

ए (पी) लिमिटेड वी। डूसन इन्फ्राकोर कं. लिमिटेड (2011) 16 एस. सी. सी.में निहित निम्नलिखित मध्यस्थता खंड से संबंधित

पक्षों के बीचः

" अनुच्छेद 22। शासी कानून 22.1: यह समझौता होगा

के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाता है

कोरिया गणराज्य। अनुच्छेद 23। मध्यस्थता-23.1: संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद

इस समझौते के साथ अंततः सियोल में मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा,

कोरिया (या ऐसा अन्य स्थान जहां पक्ष लिखित रूप में सहमत हो सकते हैं), समझौते के नियमों के अनुसार तब लागू

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स "।

73. इसके बाद अदालत ने कहाः

" 18. मेरी राय में, के बीच आवश्यक अंतर है

साइटेशन इंफोवेयर्स लिमिटेड में निर्दिष्ट खंड v. विषुववृत्त

कॉर्प. [(2009) 7 एस. सी. सी. 220] और इंडटेल तकनीकी सेवाओं में भी

(पी) लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. एस. एटकिन्स रेल लिमिटेड [(2008) 10 एस. सी. सी. 308]

हाथ और दूसरी ओर वर्तमान मामले में अनुच्छेद 23.1। श्री.

गुरुकृष्ण कुमार ने ठीक ही बताया कि इसका लाभ

विशेष रूप से, कोष्ठक वाले भाग को नहीं लिया जा सकता है नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. में निर्णय कम्पानिया

इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू [(1988) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सी. ए.)] जहाँ यह आयोजित किया गया थाः

" सभी अनुबंध जो मध्यस्थता के लिए प्रदान करते हैं और जिसमें एक विदेशी मध्यस्थता होती है

तत्व में कानून की तीन संभावित प्रासंगिक प्रणालियाँ शामिल हो सकती हैंः

(1) मूल अनुबंध को नियंत्रित करने वाली कानून; (2) कानून मध्यस्थता के लिए समझौते और उसके निष्पादन को नियंत्रित करना

समझौता; (3) मध्यस्थता के संचालन को नियंत्रित करने वाला कानून।

अधिकांश मामलों में तीनों समान होंगे, लेकिन (1)

अक्सर (2) और (3) से अलग होगा और कभी-कभी, लेकिन शायद ही कभी, (2) (3) से भी भिन्न हो सकता है। ”

यहाँ ठीक यही स्थिति है। अनुच्छेद 23.1 की भाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तीनों कानून कोरिया गणराज्य के कानून हैं, जिसमें सोल, कोरिया में मध्यस्थता का स्थान है और मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के नियमों के अनुसार आयोजित की जानी है।

19. अनुच्छेद 23.1 में कोष्ठक वाले हिस्से के संबंध में, हालांकि, यह देखा जाना चाहिए कि यह नेवेरा मामले [(1988) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 116 (सीए)] में देखा गया थाः " ..... यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए प्रस्तुतिकरणों ने मध्यस्थता के कानूनी 'स्थान' आदि को भौगोलिक रूप से सुविधाजनक स्थान या सुनवाई आयोजित करने के स्थानों के साथ भ्रमित कर दिया। यह अंतर आजकल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की एक सामान्य विशेषता है और इसे रेडफर्न में सहायक रूप से समझाया गया है और

हंटर [एड। : रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन।] निम्नलिखित परिच्छेद में 'का स्थान' शीर्षक के तहत

मध्यस्थता ': ' पूर्ववर्ती चर्चा इस आधार पर हुई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही स्थान है। यह पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से चुना गया स्थान होगा और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवृत्त में निर्दिष्ट किया जाएगा।

कार्यवाही या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या "स्थान" के रूप में। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बैठकें या सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है।

मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा कोई अन्य स्थान, या तो अपनी सुविधा के लिए या पक्षों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए।

उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से, एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्रत्येक कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान बदल जाता है। मध्यस्थता का स्थान प्रारंभ में पक्षों द्वारा या उनकी ओर से सहमत होने का स्थान बना रहता है। जब न्यायाधीश द्वारा इस नीति के निर्माण की बात आती है तो इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इससे यह स्पष्ट होगा कि कोष्ठक वाले भाग में

अनुच्छेद मध्यस्थता के स्थान पर निर्णय लेने के लिए नहीं था, लेकिन

पक्षकारों की सुविधा के लिए यदि वे पकड़ पाते हैं

सोल, कोरिया के अलावा कहीं और मध्यस्थता कार्यवाही। द.

हिस्सा जो ऊपर नेवेरा अमेज़ोनिका से उद्धृत किया गया है पेरूआना एस. ए. वी. सेगुरोस डेल कम्पानिया इंटरनेशनल

पेरू [(1988) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सीए)] इस अनुमान का समर्थन करता है।

20. इस दृष्टिकोण से, मेरे निष्कर्ष यह हैं कि:

(i) संविधान के अनुच्छेद 22 और 23 की स्पष्ट भाषा।

इस मामले में पक्षों के बीच वितरण समझौता पार्टियों के बीच एक स्पष्ट समझौते को दर्शाता है।
अधिनियम के भाग I को छोड़कर।

((ii) भाटिया इंटरनेशनल बनाम में निर्धारित कानून। बल्क ट्रेडिंग एस. ए. [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] और इंडटेल टेक्निकल

सर्विसेज (पी) लिमिटेड v. डब्ल्यू. एस. एटकिन्स रेल लिमिटेड [(2008) 10

एस. सी. सी. 308], साथ ही साइटेशन इन्फोवेयर्स में भी

लिमिटेड वी. इक्विनोक्स कॉर्प. [(2009) 7 एससीसी 220] नहीं है

वर्तमान मामले में लागू।

(iii) चूंकि अनुच्छेद 23.1 की व्याख्या से पता चलता है कि मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून कोरियाई कानून होगा और

मध्यस्थता का स्थान कोरिया में सियोल होगा, इसकी धारा 11 (6) के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं होगा।
उस प्रावधान के संदर्भ में अधिनियम और मध्यस्थ की नियुक्ति।

74. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2011) 6

161 , यह न्यायालय एक मध्यस्थता समझौते से संबंधित था

पार्टियों को इस प्रकार देखें -

" 34.12 . मध्यस्थता समझौते का स्थान और कानून। आयोजन स्थल

इस अनुच्छेद के अनुसार एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, कुआलालंपुर, मलेशिया होगा और अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, पक्षकार शर्तों को लागू करना जारी रखेंगे।

मध्यस्थता की शुरुआत के बावजूद इस अनुबंध का कार्यवाही और कोई लंबित दावा या विवाद। इसके बावजूद

अनुच्छेद 33.1 के प्रावधानों के अनुसार, इस अनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा।

75. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 3 और 53 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहाः

" 20. हम सबसे पहले इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या कुआलालंपुर मध्यस्थता का नामित स्थान या न्यायिक स्थान था और

उसी को लंदन स्थानांतरित कर दिया गया था। पी. एस. सी. के अनुच्छेद 34.12 के संदर्भ में 5 पक्षों द्वारा प्रवेश किया गया, मध्यस्थता का स्थान कुआलालंपुर, मलेशिया था। हालाँकि, महामारी सार्स के प्रकोप के कारण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पहले एम्स्टर्डम और फिर लंदन में अपनी बैठकें आयोजित करने का फैसला किया और पक्षों ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। लंदन में 14-10-2003 और 15-10-2003 पर आयोजित कार्यवाही में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता के न्यायिक स्थान को लंदन में स्थानांतरित करने के लिए पक्षों की सहमति दर्ज की। क्या यह मध्यस्थता के भौतिक या न्यायिक स्थान को कुआलालंपुर से लंदन स्थानांतरित करने के बराबर था? इसका निर्णय प्रासंगिक खंडों के समग्र विचार पर निर्भर करेगा।

21. यद्यपि, यह दोहरावपूर्ण प्रतीत हो सकता है, हम यह उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि समझौते की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थता कुआलालंपुर में थी। यदि पक्ष अनुच्छेद 34.12 में संशोधन करना चाहते थे, तो वे ऐसा केवल एक लिखित दस्तावेज द्वारा कर सकते थे, जिस पर उन सभी को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।

मान लीजिए, न तो पी. एस. सी. के पक्षों के बीच मध्यस्थता के न्यायिक स्थान को कुआलालंपुर से लंदन स्थानांतरित करने के लिए कोई समझौता हुआ था और न ही अनुच्छेद 34.12 में संशोधन के लिए उनके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, केवल यह तथ्य कि विशेष मध्यस्थता के पक्षकार मध्यस्थता के स्थान को लंदन में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हुए थे, की व्याख्या कुआलालंपुर से लंदन में मध्यस्थता के स्थान के भौतिक परिवर्तन के अलावा कुछ भी नहीं की जा सकती है।

76. एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में, यह न्यायालय एक मध्यस्थता खंड से संबंधित था जिसमें कहा गया था कि स्थल लंदन में होगा। उस मामले के तथ्यों पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अनुबंध का मूल कानून, कार्यवाही का प्रारंभिक कानून और मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून अखिल भारतीय था, इसलिए बैठकों का स्थान भारत होगा-लंदन केवल बैठक आयोजित करने का स्थान होगा। इसके बाद अदालत ने नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. के बाद फैसला सुनाया।

कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (1988) 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 116 (सी. ए.) मामला, कि मध्यस्थता कार्यवाहियों का विधि आयोग, अर्थात्, बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v.

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

फीता जिसमें मध्यस्थता आयोजित की जानी है, को माना जाना चाहिएमाध्यस्थम कार्यवाहियों को खाते हुए, अन्य चीजें समान हैं, जो इस प्रकार हैंः

" 100. मामले के तथ्यों पर, यह नेवेरा में देखा गया था

अमेजोनिका

मामला [नेवेरा अमेजोनिका पेरूआना एस. ए. बनाम। कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 116 (सीए)] कि चूंकि कानून 1 और कानून 2 पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए पूरा मुद्दा कानून 3, "मध्यस्थता के संचालन को नियंत्रित करने वाला कानून" पर बदल गया। यह आमतौर पर के रूप में जाना जाता है

क्यूरियल या प्रक्रियात्मक कानून, या लेक्स फोरी। इसके बाद, न्यायालय ने कानूनों के टकराव (11 वां संस्करण) पर डाइसी और मॉरिस की निम्नलिखित टिप्पणी को मंजूरी के साथ उद्धृत कियाः " अंग्रेजी कानून एक असंबद्ध मध्यस्थता या अंतरराष्ट्रीय आकाश में तैरती मध्यस्थता प्रक्रियाओं की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है। कानून की किसी भी नगरपालिका प्रणाली से असंबद्ध। यह आगे कहा गया है कि "तदनुसार प्रत्येक मध्यस्थता में एक 'सीट' या 'लोकस' होना चाहिए।

आर्बिट्री 'या' फोरम 'जो अपने प्रक्रियात्मक नियमों को नगरपालिका कानून के अधीन करता है जो वहां लागू है। इसके बाद न्यायालय निम्नलिखित सिद्धांत को स्पष्ट करता हैः

" जहां पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले कानून का चयन करने में विफल रहे हैं, उन कार्यवाही को किसी भी दर पर प्रथम दृष्टया, उस देश के कानून द्वारा शासित माना जाना चाहिए जिसमें मध्यस्थता आयोजित की जाती है, इस आधार पर कि यह है

देश कार्यवाही से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

कानून के नियमों के टकराव का उपरोक्त क्लासिक बयान डैसी एंड मॉरिस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज (11 वां संस्करण), खंड में उद्धृत। 1 , जेम्स मिलर एंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अनुमोदित किया गया था

पार्टनर्स लिमिटेड v. व्हिटवर्थ स्ट्रीट एस्टेट (मैनचेस्टर)

लिमिटेड [1970 एसी 583: (1970) 2 डब्ल्यूएलआर 728: (1970) 1 सभी ई. आर. 796: (1970) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 269 (एच. एल.)] और मस्टिल, जे. ब्लैक क्लॉसन में

इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। पेपियरवेर्के वाल्डोफ़-एशफ़ेनबर्ग ए. जी. [(1981) 2 लॉयड का प्रतिनिधि 446 पी. 453] , थोड़ी देर बाद उसी प्रस्ताव को "उस स्थान का कानून जहां संदर्भ आयोजित किया जाता है, लेक्स फ़ोरी" के रूप में वर्णित किया गया। की स्थिति

भारत में भी यही कानून है। 77. इसके बाद अदालत ने डोने विंड फार्म के ब्रेज़ की जाँच की।

टलैंड) वी। अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड [2008]आई. सी. 436 (टी. सी. सी.) कुछ विस्तार से, और पैराग्राफ 118 में निष्कर्ष निकाला गया

वीएसः

" 118. इन ब्रेज़ ऑफ़ डोने [ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म]

केवल लंदन को एक स्थल के रूप में नामित किया है। इसलिए, यदि किसी को अकेनहेड, जे. के तर्क और तर्क को लागू करना है, तो यह निष्कर्ष अटूट होगा कि पक्षों ने भारत को इस रूप में नामित किया है सीट पर। यह और भी अधिक है क्योंकि पक्षकार इस बात पर सहमत नहीं हुए हैं कि लंदन की अदालतों के पास इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

अनुबंध, जो विशेष रूप से खंड 1.4 में प्रदान किया गया था। 1 ई. पी. सी. अनुबंध की जाँच अकेनहेड, जे. इन ब्रेज़ ऑफ़

डोने [ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड v. अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, [2008] बस एलआर डी 137 (क्यूबीडी): 2008 ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी)]। वर्तमान मामले में, इसके अलावा

लंदन को मध्यस्थता की बैठकों के आयोजन के लिए एक सुविधाजनक स्थान/स्थल के रूप में चुना गया है, इससे जुड़ा कोई अन्य कारक नहीं है

लंदन में मध्यस्थता कार्यवाही। "

78. न्यायालय ने तब सी वी का संदर्भ दिया। डी [2007] ई. डब्ल्यू. सी. ए. 182, जहाँ न्यायालय, सी. वी. का अनुसरण करता है। डी (सुप्रा), अभिनिर्धारित हैः

" 122. अपील न्यायालय के न्यायाधीश लॉन्गमोर ने कहाः (सी वी। डी मामला [[2008] बस एलआर 843: 2007 ईडब्ल्यूसीए सीवी 1282], बस एलआर पी।

851 , पैरा 16-17)

" 16. मैं श्री हिर्स्ट की दलीलों को उचित समय पर सुलझाऊंगा, लेकिन मेरे निर्णय में वे मुद्दे के केंद्रीय बिंदु से निपटने में विफल रहते हैं। जो यह है कि लंदन को मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुनकर या नहीं चुनकर, पक्षों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि पुरस्कार पर कार्यवाही केवल अंग्रेजी कानून द्वारा अनुमत होनी चाहिए। मेरे विचार में यह माना जाना चाहिए कि वे न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों के लिए सहमत थे। बरमूडा प्रपत्र (अंग्रेजी मध्यस्थता लेकिन नीति के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर न्यूयॉर्क कानून को लागू करना) द्वारा प्राप्त संतुलन का पूरा उद्देश्य यह है कि

पुरस्कार के संबंध में न्यायिक उपचार वे होने चाहिए जो

अंग्रेजी कानून द्वारा अनुमति दी गई है और केवल वे जिनकी अनुमति है। श्री हिर्स्ट यह नहीं कह सके (और नहीं कहा) कि बी. जी. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. बनाम के लिए अंग्रेजी न्यायिक उपाय।

और भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के 68 को अनुमति नहीं दी गई थी; उन्हें यह कहने तक सीमित कर दिया गया था कि न्यूयॉर्क न्यायिक उपचार

मूल।] अनुमति दी गई। हालाँकि, यह मुकदमेबाजी का एक तरीका होगा। और (इससे भी बुरा क्या है) भ्रम जिसका इरादा नहीं किया जा सकता था

दलों द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यूयॉर्क के कानून की अपनी न्यायिक व्यवस्था है।

अधिकारिता की कमी और गंभीर अनियमितता के लिए उपाय लेकिन यह यह शायद ही माना जा सकता है कि एक पक्ष एक पक्ष से व्यथित है

एक पुरस्कार एक अधिकार क्षेत्र और एक पक्ष में आगे बढ़ सकता है पुरस्कार के दूसरे भाग से व्यथित व्यक्ति दूसरे भाग में आगे बढ़ सकता है।

अधिकार क्षेत्र। इसी तरह, एक एकल शिकायत के मामले में

पुरस्कार, यह नहीं माना जा सकता है कि पीड़ित पक्ष कर सकता है एक अधिकार क्षेत्र में शिकायत करें और संतुष्ट पक्ष इसके हकदार होंगे

अन्य अधिकार क्षेत्र से पुरस्कार के साथ अपनी संतुष्टि घोषित करने के लिए कहें।

दलों के पहले प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करने का गंभीर जोखिम होगा

निर्णय या परस्पर विरोधी निर्णय जो पक्षों के पास नहीं हो सकते हैं

विचार किया।

17. इससे यह पता चलता है कि मध्यस्थता के लिए सीट का चुनाव

हमला करने की मांग करने वाले उपचारों के लिए मंच का एक विकल्प होना चाहिए

पुरस्कार "। मामले के तथ्यों पर, न्यायालय ने माना कि

मध्यस्थता इंग्लैंड में थी और तदनुसार मनोरंजन किया पुरस्कार के लिए चुनौती "।

79. में रोजर शाशोआ (ऊपर) का संदर्भ दिया गया था।

रैफ्स 124 से 128 तक, और फिर विभिन्न अन्य निर्णयों के लिए, जिनमें शामिल हैं

सी. ओ. (ऊपर), निम्नानुसार हैः

" 134. इसे संबंधित कानून के अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए कि लगभग सभी राष्ट्रीय कानूनों में,

मध्यस्थता के स्थान/स्थान/स्थान पर लंगर डाला जाता है मध्यस्थता। रेडफर्न और हंटर

अंतर्राष्ट्रीय

पर

मध्यस्थता (5 वीं संस्करण। , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड/न्यू यॉर्क

यॉर्क 2009), पैरा 3.54 में निष्कर्ष निकाला गया है कि

इस प्रकार मध्यस्थता का उद्देश्य इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना है। बाल्को में [भारत एल्यूमीनियम कंपनी। कैसर एल्यूमीनियम

तकनीकी सेवा निगम, (2012) 9 एस. सी. सी. 552: (2012) 4 एससीसी (सी. आई. वी.)

810] , यह आगे देखा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी

मध्यस्थता की कार्यवाही [2019] 17 एस. सी. आर. के स्थान पर आयोजित की जानी है।

मध्यस्थता। मध्यस्थों को बैठक करने की स्वतंत्रता है

ऐसा स्थान जो सभी संबंधित लोगों के लिए सुविधाजनक हो। यह आवश्यक हो सकता है क्योंकि मध्यस्थ अक्सर अलग-अलग स्थानों से आते हैं।

देशों। इसलिए, मध्यस्थता की सभी या कुछ बैठकों को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित करना सुविधाजनक हो सकता है जहां मध्यस्थता का स्थान स्थित है। बाल्को में रेडफर्न और हंटर के प्रासंगिक अंश को उद्धृत किया गया है जो इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 598, पैरा 75)

" 75. ..... ' पूर्ववर्ती चर्चा इस आधार पर हुई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही स्थान है। यह पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से चुना गया स्थान होगा और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवाही के कार्यवृत्त में या किसी अन्य तरीके से स्थान के रूप में नामित किया जाएगा या

" मध्यस्थता का स्थान। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बैठकें या सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है

ए में

मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य स्थान, या तो अपनी सुविधा के लिए या पक्षों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए। उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से, एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के प्रत्येक कदम का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान बदल जाता है। मध्यस्थता का स्थान प्रारंभ में पक्षों द्वारा या उनकी ओर से सहमत स्थान बना रहता है। (नेवेरा मामला [नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. बनाम। कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू, (1988) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सीए)], लॉयड का प्रतिनिधि पी। 121) " ”

इन टिप्पणियों को भारत संघ बनाम में भी देखा गया है। मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। [(1993) 2 लॉयड के प्रतिनिधि

48] "

80. अंततः न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 135. वर्तमान मामले में, भले ही मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लंदन में तय किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि पक्षों का इरादा लंदन में भी होने का है। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, स्थान अक्सर अलग-अलग BGS SGS SOMA JV v हो सकता है।

एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता के स्थान से। ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थता की सुनवाई द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी पक्षकार, लेकिन यह मध्यस्थता के स्थान में परिवर्तन नहीं लाएगा। यह सटीक रूप से ब्रेज़ में अनुपात है

डोने [ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड v. अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, [2008] बस एलआर डी 137 (क्यूबीडी): 2008 ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी)]। इसलिए, वर्तमान मामले में,

सीट भारत में ही रहेगी।

81. हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्त कोयला

ए लिमिटेड और ए. एन. आर. (2015) 9 एस. सी. सी. 172, न्यायालय ने पक्षों के बीच एक राशन खंड पर विचार किया जो निम्नानुसार हैः

" 5. यदि इस चार्टर के तहत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होना चाहिए, तो लंदन में सामान्य औसत/मध्यस्थता लागू होगी, जिसमें से एक

प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त, तीसरा इस प्रकार चुने गए दोनों द्वारा, और उनका या उनमें से किसी दो का निर्णय होगा

अंतिम और बाध्यकारी, और इस समझौते को लागू करने के लिए, अदालत का नियम बनाया जा सकता है। तीन पक्षों को वाणिज्यिक पुरुष कहा जाता है जो लंदन मध्यस्थ संघ के सदस्य हैं। इस अनुबंध को अंग्रेजी कानून के अनुसार नियंत्रित और समझा जाना है। उन विवादों के लिए जहां किसी भी पक्ष द्वारा दावा की गई कुल राशि 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है, मध्यस्थता लंदन समुद्री मध्यस्थता संघ की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए।

82. व्यापक रूप से, बड़ी संख्या में अंग्रेजी आयनों और इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 48. वर्तमान मामले में, समझौते में कहा गया है कि

अनुबंध को अंग्रेजी कानून के अनुसार शासित और समझा जाना है। यह मध्यस्थता खंड में होता है। श्री विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करेंगे कि इस भाग को होना चाहिए

व्याख्या "क्यूरियल लॉ" के एक भाग के रूप में की जाती है न कि "उचित कानून" या "मूल कानून" के रूप में। यह उनका निवेदन है कि यह नहीं हो सकता है

मध्यस्थता के स्थान के बराबर। जैसा कि हम समझते हैं, यह मध्यस्थता खंड के एक भाग के रूप में बनता है। विभिन्न वाक्यांशों के माध्यम से पर्याप्त संकेत हैं जैसे "लंदन में मध्यस्थता लागू करने के लिए", मध्यस्थों को "लंदन मध्यस्थता संघ" का सदस्य होना चाहिए और अनुबंध "अंग्रेजी कानून के अनुसार शासित और समझा जाना चाहिए"। यह ध्यान देने योग्य है कि समझौते पर किसी भी कानून के लागू होने से संबंधित कोई अन्य शर्त नहीं है।

अनुबंध में कहीं भी कोई अन्य खंड नहीं है। इसके अलावा यह भी

माना कि यदि विवाद यू. एस. से कम राशि के लिए है

$ 50,000 तब, मध्यस्थता लंदन समुद्री मध्यस्थता की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए।

एसोसिएशन। जब उपरोक्त शर्तों को पढ़ा जाता है और

प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में सराहना की गई, "अनुमानित

पार्टियों का इरादा उतना ही स्पष्ट है जितना कि न्यायिक सीट मध्यस्थता का कार्य लंदन में होगा।

83. हाल ही में, ब्राह्मणी नदी छर्रों (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने एक घरेलू मध्यस्थता में खंड 18 पर विचार किया-जो मध्यस्थता थी।

पक्षों के बीच समझौता-और जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत होगा और मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर होगा। इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देने और फिर इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन (उपरोक्त) का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहाः

" 18. जहां अनुबंध किसी विशेष स्थान पर न्यायालय की अधिकारिता को निर्दिष्ट करता है, केवल ऐसे न्यायालय के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा और पक्ष अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का इरादा रखते हैं। वर्तमान मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता का "स्थान" भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर को मध्यस्थता स्थल के रूप में रखने वाले पक्षों के समझौते को ध्यान में रखते हुए, पक्षों का इरादा अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करना है। जैसा कि स्वास्तिक में कहा गया है, "अनन्य अधिकार क्षेत्र", "केवल", "अनन्य", "अकेले" जैसे शब्दों का उपयोग न करना निर्णायक नहीं है और ऐसा करता है।

इससे कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ता है।

19. जब पक्षकार भुवनेश्वर में मध्यस्थता का "स्थान" रखने के लिए सहमत हुए, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने गलती की।

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करना। चूंकि केवल उड़ीसा उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

आदेश को अलग रखा जा सकता है "।

84. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, यह हो सकता है -

यह निष्कर्ष निकाला कि जब भी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता के स्थान को मध्यस्थता का "स्थान" नामित किया जाता है।

कार्यवाहियों में, "मध्यस्थता कार्यवाही" पद से यह स्पष्ट हो जाएगा कि "स्थान" वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" है, क्योंकि उपरोक्त पद में केवल एक या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई शामिल नहीं है, बल्कि समग्र रूप से मध्यस्थता कार्यवाही, बी. जी. एस. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v. शामिल है।

उस स्थान पर एक पुरस्कार बनाना भी शामिल है। इस भाषा की तुलना ऐसी भाषा से की जानी चाहिए जैसे कि "न्यायाधिकरणों को मिलने या गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को रखने के लिए" जहां केवल "स्थल" में सुनवाई होनी है, जो निष्कर्ष की ओर ले जा सकती है, अन्य चीजें हैं

समान रूप से, कि इस प्रकार कहा गया स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, बल्कि केवल बैठक का एक सुविधाजनक स्थान है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मध्यस्थता की कार्यवाही किसी विशेष स्थान पर "आयोजित की जाएगी" यह भी इंगित करेगा कि पक्षकार किसी विशेष स्थान पर मध्यस्थता की कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह स्थान मध्यस्थता का स्थान है। कार्यवाही। इसके साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है कि कहा गया स्थान केवल एक "स्थान" है और मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, तब निर्णायक रूप से पता चलेगा कि ऐसा खंड मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" को निर्दिष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, यदि नियमों का एक अतिराष्ट्रीय निकाय मध्यस्थता को नियंत्रित करता है, तो यह आगे एक संकेत होगा कि "स्थल", इस प्रकार कहा गया है, मध्यस्थता कार्यवाही का केंद्र होगा। राष्ट्रीय संदर्भ में, यह होगा

"निर्दिष्ट स्थल" पर लागू होने के रूप में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो तब मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए "सीट" बन जाता है।

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लिमिटेड में निर्णय की शुद्धता।

85. रोजर शाशोआ (ऊपर) को बाल्को (ऊपर) के पैराग्राफ 108 और 109 में स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया था, और जैसा कि ऊपर निकाला गया है, पैराग्राफ 110 में इसका अनुसरण किया गया था। इसके बाद बाल्को (ऊपर) ने कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः

" 116. सभी निर्णयों के संबंध में जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह यह प्रतीत होती है कि मध्यस्थता के केंद्र के रूप में किसी अन्य देश का चयन अनिवार्य रूप से इस बात को स्वीकार करता है कि उस देश का कानून उसके आचरण और पर्यवेक्षण से संबंधित है।

मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगी। 117. अतः यह इस प्रकार होगा कि यदि मध्यस्थता समझौता भारत के बाहर मध्यस्थता के स्थान का प्रावधान करने के लिए पाया जाता है या आयोजित किया जाता है, तो यह प्रावधान कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेगा, इसका भाग I नहीं बनाएगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू होता है या भारतीय न्यायालयों को मध्यस्थता या पुरस्कार पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। इसका केवल यह अर्थ होगा कि पक्षों ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 से संविदात्मक रूप से आयात किया है, वे प्रावधान जो उनके मध्यस्थता के आंतरिक आचरण से संबंधित हैं और जो [2019] 17 एस. सी. आर.

अंग्रेजी प्रक्रियात्मक कानून/क्यूरियल कानून के अनिवार्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह अनिवार्य रूप से इस तथ्य से मिलता है कि भाग I केवल उन मध्यस्थताओं पर लागू होता है जिनके पास उनकी सीट/स्थान होता है। भारत में "।

86. रोजर शाशोआ और ओआरएस में। वी. मुकेश शर्मा और अन्य। , 7) 14 एस. सी. सी. 722, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अंग्रेजी शाशोआ निर्णय 3 को इस प्रकार संदर्भित किया

वीएसः

" 46. जैसा कि पहले कहा गया है, शाशोआ कुक में, जे. ने विश्लेषण के दौरान कहा कि "लंदन मध्यस्थता" एक सर्वविदित मध्यस्थता है।

घटना जिसे अक्सर विदेशी नागरिकों द्वारा एक अलग कानून के साथ चुना जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क का कानून,

पक्षकारों के मूल अधिकार और यह यहां के न्यायालयों के विधायी ढांचे और पर्यवेक्षी शक्तियों के कारण है जो कई दल इसे अपनाने के इच्छुक हैं। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा है

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब मध्यस्थता स्थल का लंदन के रूप में एक स्पष्ट पदनाम है और मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक अधिराष्ट्रीय निकाय के साथ संयुक्त रूप से सीट के रूप में किसी भी वैकल्पिक स्थान का कोई पदनाम नहीं है और कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है, तो

अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि लंदन न्यायिक सीट है और

अंग्रेजी कानून द क्यूरियल लॉ "।

87. डिवीजन बेंच ने तब इस तर्क को खारिज कर दिया कि सी. ओ. (सुप्रा) ने शाशोआ सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मंजूरी नहीं दी थी।

कमियाँः

" 54. हम पहले उक्त निर्णय से व्यापक रूप से निष्कर्ष निकाल चुके थे,

जैसा कि हम पाते हैं, न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्च न्यायालय ने शाशोआ का पालन नहीं किया था

सिद्धांत। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों, किए गए विश्लेषण और किए गए प्रस्तावों से एक निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) द्वारा शाशोआ सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि

कि बाल्को में, संविधान पीठ ने केवल

शाशोआ के कुछ अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत किया गया है लेकिन अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया है जिन पर शाशोआ ने भरोसा किया है। जैसा कि हम देखते हैं, पहले के निर्णयों का विश्लेषण है, हालांकि यह

विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि "में निर्धारित प्रस्ताव

9] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कॉम)।

शाशोआ को स्वीकार किया जाता है "। एक स्पष्ट अध्ययन पर, बाल्को में निर्णय का अनुपात, अंतिम घटना में, दर्शाता है कि शाशोआ सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है और एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसका संक्षिप्त विश्लेषण करने के बाद,

कहा कि उक्त सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है

संविधान पीठ। इसलिए, हम श्री चिदंबरम की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में दर्ज निष्कर्ष कि बाल्को में शाशोआ सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है, को इनक्यूरियम के अनुसार घोषित किया जाना चाहिए।

88. न्यायालय ने तब मध्यस्थता खंड निर्धारित किया और

निंग कानून मामले के तथ्यों पर निम्नानुसार हैः

" 69. हालाँकि हमारी राय है कि बाल्को और एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में शाशोआ सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी हम समझते हैं कि समझौते के खंडों का उल्लेख करना और जांच करना उचित है कि क्या यह मानने की कोई गुंजाइश है कि भारत में अदालतें याचिका पर विचार कर सकती थीं। शेयरधारक समझौते (एस. एच. ए.) का खंड 14 मध्यस्थता को संदर्भित करता है। उक्त खंड में लिखा है

इस प्रकारः

14. संगठन

14.1 ..... प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नामित करेगा और दो मध्यस्थों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में, एक तीसरा मध्यस्थ/अंपायर नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार होगी।

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स पेरिस।

14.2 इस तरह के मध्यस्थताओं में कार्यवाही में संचालित किया जाएगा

अंग्रेजी भाषा।

14.3 मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि लिखित रूप में की जाएगी और

यह अंतिम होगा और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

14.4 मध्यस्थता का स्थान लंदन, यूनाइटेड होगा।

70. खंड 17.6 शासी कानून से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः निम्नलिखित हैः

17.6 सरकारी कानून

इस समझौते द्वारा शासित और निहित किया जाएगा भारत के कानूनों के अनुसार "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

89. इसके बाद अदालत ने कहाः " 72. यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थता समझौता नहीं है

किस कानून और प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इस पर चुप रहें। जिस पर इसके विपरीत, खंड 14.1 में कहा गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही

सुलह के नियमों के अनुसार होगा और

आई. सी. सी. का मध्यस्थता। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर) में, दोनों

कुक, जे. ने कहा कि वाक्यांश "मध्यस्थता का स्थान लंदन, यू. के. में होगा" मध्यस्थता खंड में प्रावधान के साथ था। या नियमों के अनुसार आयोजित किया जाने वाला मध्यस्थता

पेरिस में आई. सी. सी. दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने आई. सी. सी. के नियमों को स्वीकार कर लिया।

पेरिस जो नियमों का एक राष्ट्रीय निकाय है जैसा कि उल्लेख किया गया है

कुक, जे. द्वारा और इस तरह यह स्वीकार किया गया है कि पक्षों के पास है

केवल लंदन में सुनवाई के स्थान के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

विस्तार से, स्थल और सीट के बीच का अंतर

रह जाता है। लेकिन जब एक अदालत को पता चलता है कि आयोजन स्थल के लिए पर्चे हैं

और कुछ और, यह प्रत्येक के तथ्यों पर निर्णय लिया जाना है न्यायिक सीट निर्धारित करने के लिए मामला। जैसा कि तत्काल मामले में, विचाराधीन समझौते की व्याख्या की गई है और यह आयोजित किया गया है

कि लंदन का उल्लेख केवल स्थान के रूप में नहीं बल्कि अदालतों के रूप में किया गया है लंदन में अधिकार क्षेत्र होगा, एक और व्याख्यात्मक

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अनुमानित धारणा है

अस्वीकार्य है।

XXX

XXX

XXX

76. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलों की अनुमति देते हैं और

दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसने माना है कि

कि भारत में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, और यह भी निर्धारित किया है कि

गौतम बुद्ध नगर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसके तहत याचिका दायर की गई है धारा 34 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी है। एक बार

भारत में न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उपरोक्त निष्कर्ष

मामले में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। 90. हाल के फैसले पर विचार करने के लिए अब मंच तैयार है

हार्डी एक्सप्लोरेशन में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ औरउक्शन (इंडिया) इंक. (ऊपर)। सटीक प्रश्न जो हार्डी एक्सप्लोरेशन में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लाल था और

उक्शन (इंडिया) इंक. (ऊपर) यह था कि क्या का अनुपात

टोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड और अन्य

(1998) 1 बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

305 - मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत दिया गया निर्णय -

मध्यस्थता विधि में "न्यायिक स्थान" सिद्धांत पर कोई प्रभाव, जैसे -

इंग्लैंड में और हमारी अदालतों में। तीन न्यायाधीशों की पीठ

संदर्भ इस प्रकार दिया गयाः

" 27. कानून के उपरोक्त विकास को देखते हुए, कोई नहीं है

मध्यस्थता का स्थान और स्थान के संबंध में भ्रम

माध्यस्थम का अर्थ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

मध्यस्थता खंड को समग्र तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि -

न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण करना। इसके अलावा, अगर वहाँ है

स्थल का उल्लेख और उसमें कुछ और जोड़ा गया है, प्रिस्क्रिप्शन की प्रकृति के आधार पर, अदालत आ सकती है

इस निष्कर्ष पर कि इसके भाग I का निहित अपवर्जन है एक्ट करें। सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निर्धारित सिद्धांत।

(उपर्युक्त) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (II) में संदर्भित किया गया है।

और प्रतिष्ठित। किसी भी मामले में, इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है

अधिनियम के तहत विवाद। उक्त विवाद होना चाहिए

बाल्को सिद्धांत या समझौते द्वारा या द्वारा शासित निहित बहिष्करण का सिद्धांत जैसा कि भाटिया में माना गया है

अंतर्राष्ट्रीय।

28. इस प्रकार, हम संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार देते हैं।

91. संदर्भ का जवाब देने के बाद, न्यायालय ने आगे कहा

उस मामले के तथ्यों में मध्यस्थता खंड, जो निर्धारित किया गया था

अनुच्छेद 30 इस प्रकार हैः

" 30. अनुच्छेद 33 "एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह और सुलह" से संबंधित है। मध्यस्थ "। अनुच्छेद 33.9 और 33.12 इस प्रकार हैंः

33.9 मध्यस्थता कार्यवाही तदनुसार संचालित की जाएगी।

1985 का मध्यस्थता सिवाय इसके कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में इस अनुच्छेद 33 के नियमों और प्रावधानों के बीच,

इस अनुच्छेद 33 के प्रावधान शासन करेंगे।

XXX

XXX

XXX

33.12 सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान।

कुआलालंपुर होगा और अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा। जहां तक संभव हो पार्टियों को लागू करना जारी रहेगा

मध्यस्थता की शुरुआत के बावजूद इस अनुबंध की शर्तें

कार्यवाही और कोई लंबित दावा या विवाद। "[2019] 17 एस. सी. आर.

92. इसके बाद न्यायालय ने अपने लिए UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 20 और 31 को देखा और फिर कहा कि

UNCITRAL मॉडल कानून, या तो मध्यस्थ का न्यायिक स्थान

पक्षों के बीच समझौते में कार्यवाही का संकेत दिया गया है, या यदि यह

नहीं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। मानों कि

उस मामले के तथ्यों पर मध्यस्थता खंड ने "स्थल" को इस रूप में संदर्भित किया

कुआलालंपुर, अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई नहीं था समझौते द्वारा किसी भी "न्यायिक सीट" का निर्धारण, और इसलिए

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना है। ऐसा कुछ नहीं था

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण, न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकालाः

" 40. उक्त परीक्षण का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि दृढ़ संकल्प एक अभिव्यंजक राय को दर्शाता है। तत्काल मामले में,

कोई निर्णय और राय की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। इस प्रकार,

'स्थान' शब्द का उपयोग आसन के रूप में नहीं किया जा सकता है। विस्तार से, एक स्थान एक सीट बन सकता है यदि इसमें कुछ और जोड़ा जाता है

संगत। लेकिन सीट के विपरीत एक जगह, कम से कम जैसा कि में देखा जाता है अनुबंध, एक सीट बन सकता है यदि शर्तों में से एक पूर्ववर्ती है

संतुष्ट हो जाता है। यह वास्तव में सीट का दर्जा नहीं लेता है। इस प्रकार समझा जाता है कि कुआलालंपुर मध्यस्थता का स्थान या स्थान नहीं है

और विनिमेय उपयोग स्ट्रिक्टो सेंसु में लागू नहीं होगा।

41. उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष

यह है कि भारत में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए,

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। फलस्वरूप,

जितनी जल्दी हो सके। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
93. हार्डी एक्सप्लोरेशन में तीन न्यायाधीशों की पीठ और

विचाराधीन मध्यस्थता खंड के लिए। क्या शाशोआ सिद्धांत था लागू किए जाने पर, जवाब यह होगा कि कुआलालंपुर, जिसे मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" कहा गया था, UNCITRAL मॉडल कानून द्वारा शासित किया जा रहा है, एक सुपरनैशनल द्वारा शासित होगा।

नियमों का समूह, और कोई अन्य विपरीत संकेतक नहीं होने के कारण, यह होगा

स्पष्ट करें कि कुआलालंपुर इसलिए न्यायिक "सीट" होगा

मध्यस्थता।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

94. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, रोजर शाशोआ और ओआरएस में कुक, जे. का निर्णय। वी. मुकेश शर्मा, स्पष्ट रूप से थे

बाल्को (ऊपर) में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोजर शाशोआ और अन्य मामलों में कहा गया था। वी. मुकेश शर्मा और Ors.[3] हार्डी में तीन न्यायाधीशों की पीठ, विचाराधीन मध्यस्थता खंड पर शाशोआ सिद्धांत को लागू करने में विफल रही। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक (ऊपर) ने बाल्को (ऊपर) में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित "न्यायिक सीट" के निर्धारण के रूप में कानून का पालन नहीं किया है। हार्डी में परिणाम

अन्वेषण और उत्पादन (इंडिया) इंक (ऊपर) यह है कि एक विदेशी पुरस्कार जो कुआलालंपुर में दिया जाएगा, अब कुआलालंपुर की अदालतों में चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होगा, और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I की धारा 34 के तहत भारत में अदालतों में भी चुनौती दी जाएगी। यह ठीक वही स्थिति है जिसका सामना इस न्यायालय को तब करना पड़ा जब उसने वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम के मामले का फैसला किया। सत्यम

कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2008) 4 एससीसी 190। बाल्को (ऊपर) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने वेंचर ग्लोबल को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया इंजीनियरिंग (ऊपर) इस प्रकार है:

" 143 ..... इन टिप्पणियों के साथ, मामले को गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का निपटारा करने के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया। के. के. वेणुगोपाल द्वारा की गई दलीलें, जैसा कि पैरा 42 में देखा गया है, उस तरह की अराजकता का प्रतीक हैं जो दो अदालत प्रणालियों द्वारा पैदा की जाएगी।

इससे इस तरह के प्रवर्तन से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति अंतर्निहित नीति को कमजोर कर देगी।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन या UNCITRAL मॉडल लॉ।

इसलिए, हमारी राय है कि उचित तरीके से

उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या यह है कि "वैकल्पिक दो" होगा

केवल तभी उपलब्ध होगा जब "वैकल्पिक एक" उपलब्ध न हो। XXX

XXX

XXX

" 154. इस स्तर पर, हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद V (1) (e) के दूसरे अंग की उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय समझ के बावजूद,

इस न्यायालय ने कई मौकों पर एक को रद्द करने के लिए आगे बढ़ाया है

पुरस्कार इस आधार पर दिया जाता है कि दलों ने शासन करने के लिए भारतीय कानून को चुना था

उनके विवाद का सार। उपरोक्त दृष्टिकोण यह है कि

भाटिया इंटरनेशनल में व्यक्त [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग। [(2008) 4 एस. सी. सी. 190] हमारी राय में,

इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करना आत्मा की उपेक्षा करना होगा

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जो एक

सहमति से समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वसम्मति विकसित की गई जटिल, जटिल और कई मामलों में बहुत संवेदनशील

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद। इसलिए, व्याख्या

जो ऐसी प्रक्रिया में बाधा डालती है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय न्यायालयों का दृष्टिकोण अलग-अलग है

दुनिया भर में अधिकार क्षेत्र। ऊपर बताए गए कारणों से, हम वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भी सहमत होने में असमर्थ हैं। [(2008) 4 एस. सी. सी. 190] कि विदेशी पुरस्कार को इस विशेष आधार पर रद्द किया जा सकता है कि भारतीय कानून विवाद के सार को नियंत्रित करता है। इस तरह की राय न्यायिक उदाहरणों के विशाल निकाय द्वारा नहीं दी जाती है।

या तो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I या भाग II में। विदेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, अंतरिम राहत के लिए कोई भी आवेदन धारा 9 या किसी अन्य के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा। अन्य प्रावधान, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I की प्रयोज्यता के रूप में भारत में होने वाले सभी मध्यस्थताओं तक सीमित है। इसी तरह, अंतरिम निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए कोई भी मुकदमा भारत में एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

भारत के बाहर एक सीट के साथ मध्यस्थता।

(क) इस मामले में कि यह प्रश्नगत मध्यस्थता में शाशोआ सिद्धांत को लागू करने में विफल रहा। द हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (भारत)ऊपर दिए गए) निर्णय का परिणाम यह होगा कि एक विदेशी पुरस्कार उस देश में चुनौती के अधीन होगा जिसमें इसे बनाया गया था, इसलिए मध्यस्थता बी. जी. एस. एस. एस. जी. एस. एस. ओ. एम. ए. जे. वी. v. के भाग I की धारा 34 के तहत चुनौती के अधीन होगा।

अधिनियम, 1996, जो बाल्को (ऊपर) के पैराग्राफ 143 में बताई गई अराजकता का कारण बनेगा, जिसमें परस्पर विरोधी निर्णयों के सहवर्ती जोखिम के साथ, जैसा कि वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग (ऊपर) में माना गया है।

बाल्को (ऊपर)], जो प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं को बढ़ाएगा, और न्यूयॉर्क कन्वेंशन और UNCITRAL मॉडल कानून में अंतर्निहित नीति को कमजोर करेगा। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. (ऊपर) में निर्णय, बाल्को (ऊपर) में पांच न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत होने के कारण, अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

जो अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) (आई) में 'न्यायालय' की परिभाषा से निकलती है। विवादित फैसले के अनुसार, चूंकि समझौता निष्पादित किया गया था फरीदाबाद में, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा फरीदाबाद में उत्पन्न होगा, धारा 34 याचिका दायर करने के उद्देश्यों के लिए अधिकार क्षेत्र वाली फरीदाबाद अदालतें। तर्क का दूसरा भाग यह है कि फरीदाबाद वह स्थान है जहाँ मध्यस्थता के संदर्भ के लिए अनुरोध प्राप्त किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप फरीदाबाद में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ, जो नई दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है, जिसमें कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ था।

98. हमने वर्तमान में मध्यस्थता समझौते को निकाला है।

मध्यस्थता नियम, और किसी भी संघर्ष के मामले में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 प्रबल है (क्योंकि भाग I के तहत दिए गए पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (7) के तहत एक घरेलू पुरस्कार माना जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक में दिया गया पुरस्कार है। मध्यस्थता)। ऊपर वर्णित शाशोआ सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि विवाद समझौते के खंड 67.3 के तहत किसी विदेशी ठेकेदार के साथ था, तो यह तथ्य कि मध्यस्थता की कार्यवाही नई दिल्ली/फरीदाबाद, भारत में खंड 67.3 के उप-खंड (vi) में आयोजित की जाएगी, इनमें से किसी भी स्थान को मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में नामित करने के बराबर होगा, क्योंकि कानून का एक अधिराष्ट्रीय निकाय, अर्थात् UNCITRAL मध्यस्थता नियम, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के संयोजन के साथ लागू किया जाना है।

मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी जिसका निर्णय भारत में किया जाएगा, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 भी लागू होना है। ऐसी स्थिति में कोई अन्य विपरीत संकेत नहीं होने के कारण, नई दिल्ली या फरीदाबाद, भारत समझौते के तहत नामित "सीट" है, और इसके बाद पक्षों को यह चुनना है कि दोनों में से किस स्थान पर मध्यस्थता अंततः आयोजित की जानी है।

99. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और किसी विदेशी ठेकेदार के बीच कोई विवाद था, तो खंड 67.3 (vi) को मध्यस्थता के "स्थान" को निर्दिष्ट करने वाले खंड के रूप में पढ़ना होगा, इसका पालन समान रूप से किया जाना चाहिए।

जब उपखंड (vi) को खंड 67.3 के उपखंड (i) के साथ पढ़ा जाना है, जहां एन. एच. पी. सी. लिमिटेड के बीच विवाद किसी भारतीय के साथ होगा।

ठेकेदार। वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड में कहा गया है कि

“ मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली/फरीदाबाद, भारत में आयोजित की जाएगी। पुरस्कार, उल्लिखित स्थानों में से एक पर होने हैं। नकारात्मक रूप से, खंड में यह नहीं कहा गया है कि स्थल ऐसा है कि कुछ, या सभी,

इसलिए, दोनों पक्षों ने चुना है कि मध्यस्थता कार्यवाही पर अकेले नई दिल्ली के न्यायालयों का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, यह तथ्य कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हो सकता है

एक बार "सीट" चुने जाने के बाद फरीदाबाद में प्रासंगिक नहीं होगा, जो तब एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के बराबर होगा जहां तक "सीट" के न्यायालयों का संबंध है।

बीजीएस

एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

101. नतीजतन, विवादित

निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है, और ए

धारा 34 याचिका को नई दिल्ली के

न्यायालयों में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि गुरुग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया था।

102. अपीलों को उपरोक्त शर्तों

में अनुमति दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी